ध्येयIAS®

most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

सितम्बर 2018 अंक 02

विषय सूची

सितम्बर 2018
अंक-2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-16

- भारत में बढ़ती भिक्षावृत्तिः विकास में बाधक
- विधान परिषद की प्रासंगिकता पर निरंतर उठता विवाद
- पूर्वोत्तर परिषद पुनर्गठन की प्रभावशीलता
- प्रधानमंत्री आवास योजनाः सबके लिये घर
- आरसीईपी और भारतः एक अवलोकन
- वेनेजुएला का आर्थिक संकटः विश्व के लिए एक सबक
- प्रथम ड्रोन नीतिः वर्तमान भारत की आवश्यकता

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17-21

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 22-28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29-37

सात महत्वपूर्ण तथ्य 38

सात महत्वपूर्ण पुरस्कार 39-40

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 41

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में बढ़ती भिक्षावृत्तिः विकास में बाधक

चर्चा का कारण

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून', को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) एवं अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के विरुद्ध है। केंद्र सरकार ने भी समर्थन में कहा कि भिक्षावृत्ति अगर गरीबी के कारण की जा रही है तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

कोर्ट का यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भिक्षुकों के मौलिक व मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु दायर दो याचिकाओं (हर्ष मंदेर बनाम भारत संघ और कार्निका शाहनी बनाम भारत संघ) पर आया है।

पृष्ठभूमि

अंग्रेजों ने घुमंतू जातियों, आदिवासियों, भीख माँगने वालों, कुछ ऐसी जातियाँ जिन्हें वह जन्मजात आपराधिक प्रवृत्ति के मानते थे आदि को नियंत्रित व नियमित करने के लिए कई एक्ट [Criminal Tribes Act (1871), Anti Begging Law, Vagrancy Act (अवारागर्दी वाली जनजातियों को रोकने हेतु)] बनाए। इस तरह के कानूनों की सहायता से इन समुदायों पर पुलिस विभिन्न तरीके के अत्याचार करती थीं। ऐसे कानूनों को आजादी के बाद खत्म कर दिया गया, लेकिन इन समुदायों के साथ ऐसी समस्या बनी रही (Stigma), जिससे उनकी गरिमा पर चोट पहुँची।

1947 के बाद बम्बई प्रांत ने "भिक्षावृत्ति निरोधक कानून, 1959" बनाया, जिसे कई राज्यों ने अपने यहाँ यथोचित संशोधित करके लागू किया।

वर्तमान परिदृश्य

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान में 14 साल तक की उम्र के लगभग 4 लाख बच्चे भिक्षावृत्ति के धंधे में लगे हैं और खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं। यह एक ऐसा धंधा बन गया है जिसमें काम करने के घंटे, मुनाफा-घाटा, दलाल और मैनेजर आदि सबकी एक श्रेणी बन चुकी है। अर्थात् यह कार्य एक संगठित अपराध में तब्दील हो चुका है।

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 3.72 लाख भिखारी हैं, इनमें से लगभग 79 हजार यानी 21 फीसदी साक्षर हैं। हाईस्कूल या उससे अधिक पढ़े लिखे भिखारियों की संख्या भी कम नहीं है। इनमें से करीब 3000 ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स का डिप्लोमा है। इसके अलावा शहरी इलाकों में भीख माँगने वालों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार है जबकि ग्रामीण इलाकों में यह संख्या दो लाख पैंतीस हजार है।

एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में सालाना लगभग 215 करोड़ रुपये का भिक्षावृत्ति का कारोबार है। यहाँ सवा लाख के करीब भिखारी हैं, जो विभिन्न संगठित आपराधिक गिरोहों के तहत कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अनुसार देश में हर साल हजारों बच्चों का भिक्षावृत्ति हेतु अपहरण कर लिया जाता है, इसके बाद उनके अंगों को विभिन्न तरीके से क्षतिग्रस्त करके जबरन भीख मँगवाई जाती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में ही भिक्षावृत्ति की समस्या घर किये हुए नहीं है, बल्कि इसने कमोबेश रूप से पूरे देश में पैर पसारे हैं। एक समय देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे अति पिछड़े राज्यों से बच्चे, महिलाओं आदि को लाकर जबरन इस भिक्षावृत्ति के गोरखधंधे में ढकेल दिया जाता था, इसलिए 1959 में 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' बम्बई प्रांत लाया, जिसे धीरे-धीरे अन्य राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके अपनाया।

भिक्षावृत्ति के कारण

समाज में भिक्षावृत्ति के पनपने के निम्न कारण हैं-

1. संसाधनों का असमान वितरण।
2. गरीबी व बेरोजगारी का उच्चतम स्तर पर होना।
3. लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा व मकान) का पूरा नहीं हो पाना।
4. गंभीर स्वास्थ्य समस्या व अपंगता।
5. कुछ आपराधिक संगठनों द्वारा जबरदस्ती भिक्षावृत्ति करवाना। इसमें बाल भिक्षावृत्ति सबसे प्रमुख है।
6. प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार लोगों में "क्षमताओं का अभाव" ही भिक्षावृत्ति व गरीबी का मुख्य कारण है।
7. वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री गौरव दत्त के अनुसार आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत में 'ग्रामीण औद्योगिकीकरण' पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे गरीबी ने धीरे-धीरे गम्भीर रूप धारण कर लिया।
8. आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद विदेशी, निजी व सरकारी निवेश भारी मात्रा में आया जिससे पूँजी की उपलब्ध मात्रा में बढ़ोतरी हुयी। इसके कारण उत्पादन प्रक्रिया में श्रम के स्थान पर पूँजी के प्रतिस्थापन को अधिक बढ़ावा मिला। अतः अकुशल श्रमिक धीरे-धीरे बेरोजगार होने लगे और गरीबी के जाल में फँसते चले गए। बाद में गरीबी के इसी स्तर ने भिक्षावृत्ति का रूप धारण कर लिया।
9. भारत में भिक्षावृत्ति या गरीबी के कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। औपनिवेशीकरण के दौरान अंग्रेजों ने भारत को इस कदर लूटा कि 'सोने की चिड़िया' कहलाने वाला देश 'अकाल और भुखमरी' का पर्याय बन गया।
10. इस सामाजिक कुरीति के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा भी है। एक तरफ जहाँ सरकार सर्वशिक्षा अभियान के तहत सभी को शिक्षित करना चाहती है, तो महँगी होती शिक्षा से गरीब तबका कोसों दूर होता जा रहा है।

क्या भिक्षावृत्ति पर रोक होनी चाहिए?

सरकार भिक्षावृत्ति या गरीबी का अपराधीकरण नहीं कर सकती है। यदि लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है और जीवन-यापन हेतु रोजगार नहीं है तो इसमें राज्य का शासन असफल है। अर्थात गरीबी या भिक्षावृत्ति, वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है, जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है।

अतः सरकार को लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन सार्वजनिक सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास आदि) पर खर्च करके उनकी 'क्षमताओं का विकास' करना होगा। इसके अलावा उन आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाई करनी होगी, जो लोगों को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं।

'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' का विश्लेषण

यह एक्ट कमोबेश पूरे देश में पिछले 60 वर्षों से चला आ रहा है, किंतु इस कानून ने भिक्षावृत्ति को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं की है। इस कानून को लाने के पीछे सरकार की मंशा थी कि भिक्षावृत्ति को व्यवस्थित धंधे में न तब्दील होने दिया जाय, किंतु भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक आदि कारकों ने मिलजुलकर इस समस्या को बेहद गम्भीर बना दिया।

इस कानून में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर कला प्रदर्शन कर, भविष्य बताकर, गा-बजाकर, बिना एक्टिंग व बोले अप्रत्यक्ष रूप से भीख माँगने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और उन्हें 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा भिखारी की तरह पोशाक पहनकर अपने को भिखारी की तरह प्रस्तुत करने को भी भिक्षावृत्ति कानून के तहत अपराध माना जायेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' में भीख माँगने की परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट व भ्रामक है जिसके आधार पर पुलिस फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को विभिन्न तरीके से परेशान करती थी।

यह कानून ज्यादा सक्रिय अवस्था में नहीं रहता था किंतु जरूरत के मुताबिक समय-समय पर सरकार इसका उपयोग करती थी। यथा-2010 में कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन से पूर्व सरकार ने भिखारियों को विभिन्न तरीके से परेशान किया। उन्हें दिल्ली से बाहर जाने पर मजबूर किया और जो नहीं गये उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि यदि विदेशी लोगों के सामने ये भिखारी आते तो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो सकती थी।

भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सरकारी प्रयास

1. **बाल कल्याण ब्यूरोः** यह ब्यूरो राष्ट्रीय बाल नीति, किशोर न्याय अधिनियम तथा समेकित बाल संरक्षण स्कीम, चाइल्ड हैल्पलाइन जैसे कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम, देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुगृहों को सहायता स्कीम तथा किशोर न्याय कार्यक्रम नामक तीन पूर्ववर्ती स्कीमों का वर्ष 2009-10 से 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' में विलय किया गया।
2. 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' 30 जनवरी, 2006 से एक पृथक मंत्रालय बना। यह मंत्रालय देश में महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। इस मंत्रालय के तत्वावधान में दो सांविधिक निकाय हैं- राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग।
3. नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन (2016) का ड्राफ्ट।
4. राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन।
5. महिला पुलिस वालंटियर।
6. 'किशोर न्याय कानून (संशोधित), 2015' में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून की धारा 76 के तहत बाल भिक्षावृत्ति के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को पाँच साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आयोग के अनुसार बाल भिक्षावृत्ति एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन शहरों में इसे पेशेवर ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। अतः आयोग चिल्ड्रेन हेल्पलाइन, गैर सरकारी संगठनों और प्रशासन के साथ मिलकर बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इस मुहिम के तहत न सिर्फ बच्चों को भिक्षावृत्ति के दलदल से निकाला जाएगा, बल्कि उनके पुनर्वास की भी योजना है।
7. संविधान की किसी भी सूची में भिखारी या भीख शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि-9 के अनुसार निःशक्त और रोजगार नहीं कर पाने वाले व्यक्तियों को राहत पहुँचाना राज्य का अधिकार क्षेत्र में आता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि-15 के अनुसार 'भीख माँगना' एक समवर्ती विषय है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में 20 राज्यों और दो संघशासित प्रदेशों ने अपना भिक्षावृत्ति विरोधी कानून लागू किया है या अन्य राज्यों में लागू कानून को अपनाया है। कई राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भिक्षावृत्ति से संबंधित कानून को लागू किया गया है। हालांकि राज्यों में इस कानून के प्रावधान अलग-अलग हैं और भिखारियों के पुनर्वास के लिए उपायों सहित इन्हें लागू करने की स्थिति एक समान नहीं है। निराश्रित की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के लिए एक ड्राफ्ट योजना पर विचार किया जा रहा है।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपए प्रति किलो चावल और 1 रुपए प्रति किलो मोटा अनाज मिल रहा है। इस अधिनियम से लगभग देश की 82 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित हो रही है।

भिक्षावृत्ति रोकने के अन्य उपाय

1. सभी के लिए समान अवसर।
2. वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना।
3. अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता कम करना और प्रत्यक्ष करों पर निर्भरता बढ़ाना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास।
5. पिछड़े प्रदेशों में निवेश को प्रोत्साहन।
6. गैर कृषि गतिविधियों का विकास।
7. लोगों में कुशलताओं का विकास करने पर ध्यान देना।
8. गरीबी निवारण की व्यापक रणनीति को लागू करना।
9. सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के विकास पर ध्यान देना।
10. 'लिंग संतुलन' से जुड़ी हुई नीतियों को लागू करना।
11. भारत में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), निर्माण (कंस्ट्रक्शन) एवं श्रम गहन सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार को अधिक जोर देना होगा।
12. लोगों को व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण देना होगा तथा व्यवसाय करने के वातावरण को भी आसान बनाना होगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके।

13. सामुदायिक, निजी व सामाजिक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना होगा।
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग व अन्य अनौपचारिक क्षेत्रक सर्वाधिक रोजगार प्रदाता हैं। अत: भारत जैसे जनसंख्या बाहुल्य विकासशील देशों को इन क्षेत्र के उद्योगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
15. कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े अवसंरचना (यथा-सिंचाई सुविधाएँ आदि) का विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवेकीकरण, भूमि सुधारों आदि को प्रभावी किया जाना चाहिए।
16. शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक खर्च बढ़ाकर लोगों की क्षमताओं का विकास करना होगा।
17. सरकार को अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनके लिए 'क्षेत्र विशेष नीतियों' को लागू करना होगा।
18. जो लोग विकास की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं, उनके लिए लक्ष्योन्मुखी आय और रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं को लागू किया जा सकता है।
19. भारत में श्रम कानूनों में जरूरी बदलाव करना ताकि उत्पादन की प्रक्रिया में 'श्रम के अवशोषण (absorption)' को बढ़ावा मिले, न कि उसके बहिष्करण को।

निष्कर्ष

केवल लोगों की आय बढ़ाने से यह जरूरी नहीं कि उनकी गरीबी या भीख माँगने की प्रवृत्ति दूर हो जाये। आय बढ़ने के साथ-साथ लोगों की क्षमताओं का विकास भी होना चाहिए। आय का क्षमताओं में परिवर्तन स्वत: नहीं होता है। यह कई शर्तों और बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि सम्बन्धित व्यक्ति विवेकशील है, समाज प्रगतिशील है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, आदि।

सरकार को देशव्यापी स्तर पर भिखारियों की जनगणना करके, उनको एक बायोमेट्रिक पहचान से संलग्नित करना होगा। इसके बाद उनकी क्षमताओं के मुताबिक कौशल विकास करके निजी या सरकारी संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याण ाकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

■

2. विधान परिषद की प्रासंगिकता पर निरंतर उठता विवाद

चर्चा का कारण

भारत के पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा में विधान परिषद के गठन को लेकर 2015 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने हाल ही में यह सिफारिश की है कि ओडिशा में एक विधान परिषद की स्थापना होनी चाहिए, जिस पर ओडिशा के कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। अब ओडिशा सरकार द्वारा विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसे विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पास होना अनिवार्य है। उसके पश्चात इस विधेयक को संसद के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि राज्यों में विधान परिषद के गठन का अधिकार भारत में संसद के पास ही है।

विधान परिषद की संरचना

संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधान मण्डल की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान मंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधान मंडल के एक या दोनों सदन शामिल हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्वि-सदनीय विधान मंडल और शेष राज्यों में एक सदनीय विधान मंडल की व्यवस्था है। जम्मू-कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद है परंतु इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर राज्य के अपने संविधान द्वारा की गई है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर का अपना एक पृथक् संविधान है। जिन राज्यों में दो सदन हैं वहां एक को विधान सभा तथा दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन है उसका नाम विधान सभा है।

संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। जम्मू-कश्मीर एक अपवाद स्वरूप है, जिसकी विधानपरिषदों की सदस्य संख्या 36 है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार वहाँ के विधान परिषद का गठन किया गया है। भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद की संरचना के संबंध में संशोधन कर सकती है।

राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों में से-

- 1/3 सदस्य, स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इन स्थानीय संस्थाओं में नगरपालिका, जिला बोर्ड और राज्य की अन्य संस्थाएँ सम्मिलित हैं जो संसद कानून द्वारा निश्चित करती है।
- 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जिनको भारत के किसी विश्वविद्यालय से कम-से-कम तीन वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो।
- 1/12 सदस्य राज्य के हायर सैकेण्डरी या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो गत तीन वर्षों से वहां पढ़ा रहे हों।
- 1/3 सदस्य संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं हैं।
- शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिनको विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।

विधान परिषद की प्रासंगिकता

संसदीय प्रणाली में द्वितीय सदन का स्वतंत्रता के बाद से ही चला आ रहा है। वह सदैव ही समय

की कसौटी पर खरा उतरा है। द्वितीय सदन का लक्ष्य यही होना चाहिये कि वह बहुमत के विचारों के बारे में सही मार्ग निर्देशन करें। विधान परिषद् को राज्य के सभी विषयों के विशेषज्ञों एवं विद्वानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के कारण ये सभी राज्यों में द्वितीय सदन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुये हैं। द्वितीय सदन विशिष्ट व्यक्तियों की वह प्रशाखा है जो दूसरों के लिये हमेशा ही अनुकरणीय है।

आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलू ऐसे होते हैं, जिन पर सदन में गम्भीरता, दूरदर्शिता, स्पष्टता तथा निष्पक्षता से विचार करने की आवश्यकता होती है। विधान सभा के सदस्य कई बार इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण उनके समक्ष कई प्रकार की सीमाएँ होती हैं। कभी-कभी दलगत राजनीति भी उनके स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विचारों में बाधक बनती है, ऐसे समय में द्वितीय सदन अर्थात् विधान परिषद् ही इस कमी को पूरा करती है। भारत का एक संघीय स्वरूप है और द्वितीय सदन इसका एक अनिवार्य अंग है। विधान परिषद् का एक मुख्य उत्तरदायित्व राज्य के हितों की रक्षा करना है।

शोरगुल से युक्त वातावरण में जनता द्वारा सीधे निर्वाचित निम्न सदन में अस्थाई बहुमत द्वारा लिये गये निर्णयों की तुलना में द्वितीय सदन का गठन इस प्रकार होता है कि वह स्थायी सदन होने के कारण अपेक्षाकृत शान्त वातावरण में विवेकपूर्ण तथा संतुलित निर्णय लेने में सक्षम होता है और इस प्रकार संवैधानिक सरकार के कार्य करने में बहुत उपयोगी भूमिका अदा करता है।

विधान सभा द्वारा कभी-कभी जल्दबाजी में विधेयक पारित हो जाते हैं तथा विधेयकों के खण्डों की भाषा अस्पष्ट होने के कारण उन्हें न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, परन्तु द्वितीय सदन सरकार को विधेयक पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है, इससे विधेयक में हर प्रकार से सुधार करने की गुंजाइश बनी रहती है।

द्वितीय सदन एक शक्तिशाली संस्था है जो विधायी तंत्र में अंकुश और संतुलन बनाये रखने का कार्य करती है। यह संवैधानिक सरकार के कार्यकरण के लिये परम आवश्यक माना जाता है। द्वितीय सदन को संविधान का प्रहरी भी कहा जा सकता है।

जिन राज्यों में विधान परिषद् हैं वहाँ वे उपयोगी सिद्ध हुये हैं। इसका विशेष कारण यह है कि इस सदन को राज्य के सभी विषयों के विशेषज्ञों एवं विद्वानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

वर्तमान में विधान परिषद् की अन्य समितियों तथा राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषदों, नगर निगमों तथा जिला पंचायतों में बरती गयी अनियमितताओं की जाँच समिति जनकल्याण के लिये समर्पित होकर अपना कार्य करती है और सरकार को मार्गदर्शन देती है तथा जन समस्याओं का निदान करने में महती भूमिका निभाती है। इनके अतिरिक्त विधान परिषद् में कुछ अन्य समितियाँ जैसे आश्वासन समिति, वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति आदि हैं। इन समितियों के माध्यम से भी विधान परिषद् जनकल्याण के कार्य कर अपनी महत्ता सिद्ध कर रहा है। इनके साथ-साथ मंत्रियों को परामर्श देने के लिये गठित कुछ समितियों में भी विधान परिषद् के सदस्यगण सदस्य होते हैं।

विधान परिषद् की समितियों के अतिरिक्त विधान मण्डल की संयुक्त समितियाँ भी हैं,जिनमें दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व होता है। जिन्होंने जनमानस का सम्पूर्ण विश्वास और सद्‌भावना अर्जित की है।

जनतांत्रिक पद्धति, संसदीय प्रणाली एवं प्रक्रियाओं के क्षेत्र में विधान मण्डल के द्वितीय सदन अर्थात् विधान परिषद् का अपने गरिमामय इतिहास एवं परम्परा के बल पर एक उपयोगी एवं प्रमुख विधायी संस्था के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राष्ट्रीयता एवं आत्म गौरव की अभिव्यक्ति के साथ-साथ देश की संसदीय परम्पराओं एवं जनतांत्रिक मूल्यों व आस्थाओं की स्थापना, उनके संवर्द्धन एवं परिष्कार में विधान परिषद् ने अहम् भूमिका निभाई है। विधान मण्डल के द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद् का एक गरिमामय स्थान है और इसकी भूमिका प्रभावकारी है। यह विधान परिषदों की उपयोगिता ही है कि पूर्व में आन्ध्र प्रदेश में विधान परिषद् को समाप्त कर दिया गया था किन्तु इसकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुये आन्ध्र प्रदेश में इसे पुनर्जीवित किया गया है।

प्रायः प्रथम सदन अर्थात् विधान सभा के सामने द्वितीय सदन अर्थात् विधान परिषद् के अस्तित्व को नकारा जाता रहा है। इसे अर्थव्यवस्था पर एक अनावश्यक बोझ समझकर अनुपयोगी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय सदन अपने स्वरूप में परम्परावादी होते हुये प्रगतिशील विधायी कार्य में बाधक होता है, परन्तु जब देश में राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और शासन व्यवस्था डगमगाने लगती है तब यही द्वितीय सदन अनुच्छेद 83 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अपने स्थायी होने एवं कभी भंग न होने के कारण अपनी सार्थकता को सिद्ध करता है। राजनैतिक जीवन के कई पहलुओं पर दूरदृष्टि के साथ ही गम्भीर चिन्तन भी नितांत आवश्यक होता है। जब कभी प्रथम सदन द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और संकल्पों में यदि कोई दोष और त्रुटि दिखाई देती है, तब ऐसी स्थिति में द्वितीय सदन उस पर अपनी पैनी निगाह डालकर उसके दोषों एवं त्रुटियों का विवेचन कर उन्हें दूर करके अपनी सार्थकता और विवेकपूर्ण सोच को सिद्ध करता है। जिन देशों में द्वितीय सदन की अवधारणा को स्वीकारा गया है वे मानते हैं कि द्वितीय सदन विभिन्न विधेयकों पर गहन विचार-विमर्श कर एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है।

द्वितीय सदन राज्य की विधायिका का महत्वपूर्ण घटक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया में अपना बहुमूल्य सुझाव संशोधनों के माध्यम से प्रस्तुत करके यह सदन उल्लेखनीय योगदान देता है और राज्य के विकास के कार्यों में भी कार्यकारिणी का पथ-प्रदर्शन करने में एक अहम् भूमिका निभाता है। एक विधायी निकाय के रूप में जनता की मनोभावनाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करते हुए जन सामान्य की समस्याओं को उजागर करने उनकी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को मुखरित करने तथा उन्हें सरकार तक पहुँचाने में विधान परिषद् का एक सशक्त इतिहास रहा है। यह सदन जहाँ एक ओर राष्ट्रीय नेताओं का प्रशिक्षण केन्द्र रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण में भी इसकी महती भूमिका रही है। यह सदन राज्य की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों का सूत्रधार है, जिससे शासन सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को समुचित दिशा निर्देश मिलता है। यह जिस प्रकार अपनी विधायी भूमिका का निर्वहन करता है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये वरदान स्वरूप है। वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्यों में उच्च सदन आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है और इन्हें सुदृढ़ बनाये जाने का हर संभव प्रयास होना चाहिये।

विधान परिषद के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष में तर्क

- **पक्ष में तर्क**
  - विधान परिषद सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा किसी विधेयक को बिना चर्चा के या जल्दबाजी में पास न करें क्योंकि उसे विधान परिषद से भी पास कराना होगा।

- यदि कोई बुद्धिजीवी, समाजसेवी, ख्याति प्राप्त आदि लोग विधानसभा के चुनाव में हार जाते हैं, तो इसके बावजूद भी विधान परिषद में उनकी सदस्यता सुनिश्चित हो पाएगी, जो जन सरोकार के मुद्दे को उठाते हैं।
- विधान परिषद के गठित होने से राज्य सरकार काफी जवाबदेह होती है।
- विधान परिषद के गठित होने से किसी विधेयक पर स्वस्थ बहस होती है, जिससे कानून को विनयमित करने में काफी मदद मिलती है।

- **विपक्ष में तर्क**
  - किसी व्यक्ति का विधानसभा के चुनाव में हारने के बावजूद भी, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उस व्यक्ति को विधान परिषद में ले आना, यह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है।
  - विधान परिषद के वजह से कानून को लागू करने में काफी विलंब होता है, क्योंकि किसी विधेयक को लेकर काफी बहसें होती हैं, जिस वजह से समय पर कोई कानून लागू नहीं हो पाता है।
  - विधान परिषद के गठन से राज्यों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है।
  - हाल के वर्षों में, विधान परिषदों में भी चर्चा के स्तर में काफी गिरावट हुई है। यानी किसी विषय पर चर्चा नहीं के बराबर होती है।
  - अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के खिलाफ है।
  - विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के वक्त 'हॉर्स ट्रेडिंग' अर्थात 'खरीद फरोख्त' काफी होता है।
  - यह प्राय: देखा गया है कि जिस राज्य में सरकार की बहुमत विधानसभा में होती है, उन्हीं की बहुमत विधान परिषद में भी होती है। इसलिए विधान परिषद प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इस प्रकार विधान परिषद, विधानसभा के "रबर स्टाम्प" के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

असम और राजस्थान में पिछले काफी समय से यह माँग हो रही है कि इन राज्यों में भी विधान परिषद की स्थापना होनी चाहिए। इन राज्यों के विधानसभा के द्वारा दो बिल पास करके 2013 में राज्यसभा को भेजा गया। हालांकि यह विधेयक अभी पास नहीं हुआ है। राज्यसभा ने इस विधेयक को संसदीय समिति को सौंप दिया और इस समिति ने इसे अपनी स्वीकृति तो दे दिया लेकिन यह कहा कि विधान परिषद के गठन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। ताकि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वह विधान परिषद के गठन की माँग करने लगती है, हालांकि जब विपक्षी पार्टी सत्ता में आती है तो कहती है कि हमें विधान परिषद की जरूरत नहीं है (उदाहरणस्वरूप- तमिलनाडु) इसको लेकर एक सर्वसम्मति होनी चाहिए। जिससे धन का अपव्यय रूक सके। विधानपरिषद के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होना चाहिए।

विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/12 भाग स्नातकों (Graduates) के द्वारा चुना जाता है। आज के समय में स्नातक होना बहुत बड़ी बात नहीं है, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय स्नातक होना एक बड़ी बात थी। इसकी जगह डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि लोगों को मतदाता के रूप में जगह मिलनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

3. पूर्वोत्तर परिषद पुनर्गठन की प्रभावशीलता

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने उत्तर पूर्व के राज्यों के परस्पर मुद्दों पर चर्चा, उनके समाधान के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का पुनर्गठन किया है। नयी व्यवस्था के तहत गृहमंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष और पूर्वोत्तर मामलों के राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही पूर्वोत्तर के आठों राज्यों के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्वोत्तर मामलों के मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

पृष्ठभूमि

उत्तर पूर्व परिषद् (एनईसी), आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के संयोजन से बना एक सांविधिक निकाय है जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। एनईसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है, जिसका गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) अधिनियम, 1971 के तहत किया गया था। इसकी स्थापना उत्तर-पूर्वी राज्यों के संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा राज्यों के साथ समन्वय में सहायता देने के लिए की गई थी।

वर्ष 2002 के संशोधन के बाद एनईसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। एनईसी इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना बनाते समय दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देती है। परिषद सिक्किम के मामले में विशेष परियोजनाएं और योजनाएं बनाने का कार्य करती है। एनईसी ने पूर्वोत्तर विजन 2020 को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके अंतर्गत एनईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य, इनकी रूपरेखा, चुनौतियों की

पहचान और विभिन्न क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और विकास के लिए क्रियान्वयन रणनीति बनाई गई है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत विकास की रूपरेखा बनाने में मदद मिली है।

उत्तर पूर्व परिषद् के गठन का उद्देश्य

एनईसी के गठन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

- इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत और समग्र क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार करना है।
- इस क्षेत्र की विकास क्षमता की पहचान करना और उत्तर पूर्व की जनता की विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
- सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के माध्यम से एनईआर में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य हितधारकों के प्रयासों में अभिसरण का निर्माण करना है।
- इस क्षेत्र में विकास, सार्वजनिक आदेश और सुरक्षा के लिए काम कर रहे सभी एजेंसियों के लिए एक समन्वित आम दृष्टिकोण विकसित करना है।
- इस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त नवीन और उचित नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में सहायता करना है।

आवश्यकता क्यों?

- पहले पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बनी संस्था 'डोनर' (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय) पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जिम्मेदार थी लेकिन अब यह जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगी जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सकेगी।
- पूर्वोत्तर के राज्य, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़े हैं। नये बदलाव से इन राज्यों की समस्या गृह मंत्रालय के माध्यम से सीधे निपटा जायेगा अर्थात मध्यस्थता तथा बिचौलियों के माध्यम से वार्ता न कर सीधे क्षेत्र के विभिन्न संगठनों से वार्ता हो सकेगी। साथ ही विकास कार्यों में तेजी आएगी।
- भारत अब एक्ट ईस्ट नीति पर काफी आगे बढ़ चुका है। इसलिए सरकार अपनी एक्ट ईस्ट नीति को कारगर बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना चाहती है।
- एनईसी राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करेगी।
- यह परिषद अंतरराज्यीय विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।
- एनईसी के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कारगर संस्था बनेगी।
- एनईसी अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्य विषयों पर विचार-विमर्श के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों को संपादित व उनकी समीक्षा करेगी।
- परिषद समय-समय पर परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। इन परियोजनाओं आदि के लिए राज्यों के बीच समन्वय के लिए कारगर उपायों की सिफारिश करेगी।
- परिषद को केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्तियां प्राप्त होंगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकारी प्रयास

- पूर्वोत्तर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना 2017 को 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उत्तर-पूर्व के राज्यों में 3,000 करोड़ रुपये से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 5 जून, 2017 को इम्फाल (मणिपुर) में पूर्वोत्तर के लिए 'पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' की घोषणा की गयी थी। यह घोषणा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित निवेशकों और उद्यमियों की बैठक के दौरान की गई थी। इस योजना से मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पर्वतीय क्षेत्रों को लाभ होगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 16 नवंबर को नई दिल्ली में '12वां पूर्वोत्तर व्यापार शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार अवसरों की संभावनाओं की पहचान करना था। इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ संरचना और सम्पर्क, कौशल विकास, वित्तीय समावेश, पर्यटन, सत्कार एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी सेवा क्षेत्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
- पूर्वोत्तर के दूरदराज क्षेत्र में तुरंत पहुंचना सुलभ नहीं है इसको देखते हुए भारत की पहली 'एयर डिस्पेंसरी' पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की गई है। इसके तहत हेलीकॉप्टर के जरिये चिकित्सा सेवा दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इस पहल के लिए 25 करोड़ रुपये की आरंभिक धनराशि जारी कर दी है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार के लिए दिल्ली में एक पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र स्थापित करने की घोषणा 16 अगस्त 2017 को हुई।
- 24 जुलाई 2017 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में बराक छात्रावास का शिलान्यास किया गया। पिछले वर्ष बंगलुरू विश्वविद्यालय में भी विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की छात्राओं के लिए एक छात्रावास का शिलान्यास किया गया था।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए "नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग" उत्सव 9 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इस अवसर पर 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी से "नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड" को लॉच किया गया।
- सरकार ने 16 दिसंबर, 2017 को मिजोरम में 60 मेगावॉट की ट्युरिअल जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। 1302 करोड़ रुपए की लागत की यह परियोजना मिजोरम में स्थापित सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना से अतिरिक्त 60 मेगावाट बिजली प्राप्त होने के साथ ही मिजोरम राज्य अब सिक्किम और त्रिपुरा के बाद पूर्वोत्तर भारत का तीसरा बिजली अधिशेष वाला राज्य बन जाएगा।
- दिसंबर 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन को रफ्तार देना है, जिसके अंतर्गत 2023-24 तक पूर्वोत्तर राज्यों के दो-तिहाई ग्रामीण परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है।

- दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में 27 मई, 2017 को पीएम मोदी ने डॉपलर वेदर रडार को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। इस रडार प्रणाली से विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बेहतर मौसम अनुमान जारी करना संभव होगा। इससे खराब मौसम से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिलेगी।
- नवंबर, 2014 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भारत के रेल मानचित्र पर आ चुके थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को इसी साल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा गया। अब मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों को भी ब्रॉड गेज यात्री ट्रेनों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्गों के विकास के लिए एक विशेष निगम 'राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम' की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सरकार 5,300 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक दूरसंचार योजना लागू कर रही है। अगरतला, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गेटवे से जुड़ने वाला देश का तीसरा शहर है। इससे जहां दूरसंचार संपर्क में सुधार हुआ है, वहीं क्षेत्र के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन सुनिश्चित है।
- पांचवी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे।
- अनुच्छेद 244 'क' के अंतर्गत असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मण्डल या मंत्री परिषद का या दोनों का गठन करने का प्रावधान है।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371 क (नागालैण्ड राज्य), 371 ख (असम राज्य), 371 ग (मणिपुर राज्य), 371 छ (मिजोरम राज्य), 371 ज (अरूणाचल प्रदेश) के लिए विशेष प्रावधान करते हैं।

चुनौतियाँ

- आजादी के 72 साल बाद भी आज तक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और उग्रवाद के बीच चोली-दामन का साथ कायम है, भले ही देश आज तरक्की के नए आयामों को छू रहा है लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य अभी भी विकास की पहुंच से काफी दूर नजर आते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है राज्य में अपनी पकड़ जमाया हुआ उग्रवाद।
- इन राज्यों में समस्या की मूल वजह यह है कि यह लोग आजादी के इतने सालों बाद भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, आजादी के पहले इन इलाकों में राजाओं या कबीलों का शासन था लेकिन विलय के बाद भी इन लोगों को लगता है कि भारत में जबरन उनका विलय किया गया है और यही कारण है कि देश के अन्य राज्यों से पूर्वोत्तर जाने वाले लोगों को मणिपुर व नगालैंड जैसे राज्यों में अब भी हिंदुस्तानी कहा जाता है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार होने के बावजूद भी आज तक पूर्वोत्तर का समुचित विकास नहीं हो पाया है और यही कारण है की राज्य के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और मजबूरन अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
- नगालैंड से सटे मणिपुर में उग्रवाद के पनपने की सबसे मजबूत वजह उसका म्यामार की सीमा से सटा होना है। पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा सक्रिय उग्रवादी गिरोह इसी राज्य में हैं। सरकार ने उग्रवाद के दमन के लिए इलाके में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम तो लागू कर रखा है लेकिन अब तक इस अधिनियम ने मुश्किलें ही ज्यादा पैदा की हैं। राज्य में उग्रवादियों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है।
- सरकारी योजनओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से ना होना।
- पड़ोसी देशों से अवैध फंडिंग।
- पूर्वोत्तर भारत देश के बाकी हिस्सों में केवल एक संकीर्ण भूमि गलियारे से जुड़ा हुआ है और भारी बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ विकास कार्य अपेक्षानुरूप नहीं रहा साथ ही साथ इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके अलावा, कठिन इलाके और सुरक्षा सम्बन्धी चिंतायें हैं क्योंकि यह अन्य देशों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र है।
- एनईआर में पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, यही कारण है कि रेल, सड़क और वायु कनेक्टिविटी को बढ़ाना देना भारत सरकार के लिए प्राथमिक चिंता है।
- भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को चीन और आसियान देशों के करीब लाने का कठिन लक्ष्य अभी कोषों दूर है।
- इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय इन राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकास योजनाएं और परियोजनाएं संचालित करता है लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य विकास के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे हैं।

आगे की राह

- पूर्वोत्तर राज्यों का विकास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। विभिन्न उग्रवादी गुटों से प्रभावी बातचीत के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सैनिक कार्यवाही के माध्यम से क्षेत्र में शांति बहाली का कार्य करना चाहिए।
- सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही पड़ोसी देशों से हो रही अवैध फंडिंग को भी रोकने की जरूरत है।
- बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को अमल में लाने की जरूरत है।
- अगर भारत को अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' को नया आयाम देना है तो पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना ही होगा क्योंकि एक्ट ईस्ट नीति इन्हीं राज्यों के विकास पर निर्भर है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. प्रधानमंत्री आवास योजनाः सबके लिये घर

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वलसाड (गुजरात) के जुजवा गाँव में 1727 करोड़ रुपये की लागत से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। इन योजनाओं में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों के लिये पाँच साल का लॉक इन पीरियड होने जा रहा है। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत घर खरीदने वाले 5 साल तक उसको बेच नहीं पाएंगे।

पृष्ठभूमि

यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश में अनेक ऐसे परिवार हैं जो आज भी बेघर हैं। एक अदद घर की उम्मीद में पूरी जिंदगी खत्म हो जा रही है परंतु लोगों को खुद की छत नहीं नसीब हो रही है। ऐसे ही लोगों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (जून, 2015) का आरंभ किया गया था।

वर्तमान स्थिति

- वित्त वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री योजना के तहत (पीएमएवाई) मकान बनाए गए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं।
- वास्तव में पीएमएवाई लाभार्थियों वाले अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखण्ड आदि भी निर्धारित समयसीमा के भीतर मकान पूरे करने की राह पर है।
- भारत में आवासीय परियोजनाओं के संबंध में जहाँ हमारे पास अपनी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे, वहीं वर्तमान स्थिति यह है कि अब विदेशी निवेशक अपनी निवेश परियोजनाओं के लिये भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन की ओर देख रहे हैं।
- इसी क्रम में अमेरिका और फ्राँस की विकास एजेंसियों द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में शहरों को विकसित करने के लिये 3 शहरों को अपनाया गया है। वहीं इस संबंध में जापान द्वारा भी स्मार्ट सिटी में दिलचस्पी व्यक्त की गई है, जबकि चीन की कंपनियों द्वारा मेगा औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने में रुचि प्रकट की गई है।
- वस्तुतः सरकार का उद्देश्य एक तय समय-सीमा पर सभी को आवास उपलब्ध कराना मात्र नहीं है बल्कि वह इन सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से मानव जीवन की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने पर भी बल दे रही है।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख शहरों के लिये शहरी जीवन, रहन-सहन सूचकांक भी लॉन्च किया गया है। इस सूचकांक का आधार शहरी जीवन की गुणवत्ता है।
- इस साल अभी तक मंजूर हुए मकानों में से 31 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष 50 प्रतिशत पूरे हो गए थे।
- 1 अप्रैल, 2016 के बाद से लगभग तीन वर्ष में 27 लाख मकान पूरे हो चुके हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस वित्त वर्ष के अंत तक 1 करोड़ मकान का लक्ष्य पूरा होने का विश्वास है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, जो देश में ग्रामीण गरीबों को मकान मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया समाज कल्याण का एक प्रमुख कार्यक्रम है। योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए मैदानी इलाकों में 70,000 रुपये (वर्तमान में बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये) और दुर्गम इलाकों (ऊँचे इलाकों) में 75,000 (वर्तमान में बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार रुपये) रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन मकानों में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएँ हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों, उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शनों और सौभाग्य योजना जैसी अन्य योजनाओं के साथ मेल इस योजना की विशेषता है।

मकान महिला के नाम पर अथवा महिला और पुरुष के संयुक्त नाम पर आवंटित किए जाते हैं। मकान का निर्माण केवल लाभार्थी की जिम्मेदारी है और उसके लिए ठेकेदार लगाना एकदम मना है। प्रत्येक मकान में स्वच्छ शौचालय और धुआँरहित चूल्हे बनाना जरूरी है, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गाँवों में लोगों को अपने मकान स्वयं बनाने के लिए सब्सिडी और नकद सहायता उपलब्ध कराती है।

योजना के उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को अपने रहने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का सपना भारतीय गाँवों में सभी कच्चे मकानों के बदले पक्के मकान बनाना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आरंभ की। ग्रामीण आवास के पिछले कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर पीएमएवाई-जी बनाई गई।

"2022 तक सभी के लिए आवास" पूरे करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मार्च, 2019 तक 1 करोड़ और 2022 तक 2.95 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 51 लाख मकान को 31 मार्च, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिनमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे रह गए 2 लाख मकानों का निर्माण भी शामिल है।

ग्रामीण आवास योजना का प्रदर्शन लगातार अच्छा हुआ है और पिछले चार वर्ष में तकरीबन चार गुना बढ़ गया है। 20 नवंबर, 2016 को कार्यक्रम आरंभ होने के बाद लाभार्थी पंजीकरण, जियो-टैगिंग, खाते के सत्यापन आदि की प्रक्रिया में कुछ महीने लगने के बाद भी काफी प्रगति हुई है।

बड़े और बेहतर मकानों के निर्माण का लक्ष्य लाभार्थियों के पारदर्शी चयन, लाभार्थियों के क्षमता निर्माण, लाभार्थियों को समय पर धन उपलब्ध कराए जाने, क्रियान्वयन के बारे में मिली प्रतिक्रिया के आधार पर व्यवस्थित निगरानी एवं सुधार के कारण ही संभव हो पाया है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त मकानों को जल्द पूरा करने में उस वित्तीय सहायता का योगदान है, जो राज्य स्तर पर मौजूद एकल राज्य नोडल खाते से आईटी-डीबीटी प्लेटफॉर्म

के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचती है। आईटी-डीबीटी प्लेटफॉर्म से कार्यक्रम का पारदर्शिता भरा, झंझट रहित और गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ये प्रभाव हुए हैं-

i) आवास निर्माण के समय और खर्च में कमी
ii) पारदर्शिता के कारण लाभ के कहीं और अवैध प्रयोग यानी रिसाव पर रोक
iii) लाभार्थियों को मिलने वाले वित्त पर नजर रखने में आसानी
iv) मकानों का बेहतर गुणवत्ता वाला निर्माण

लाभार्थियों की पहचान से लेकर मकान निर्माण के प्रत्येक चरण और निर्माण पूरा होने तक पूरे चक्र पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आईटी मंचों का प्रयोग किया जा रहा है तथा प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग भी की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक प्रदर्शन सूचकांक तैयार किया है, जिसमें पीएमएवाई-जी के तहत प्रगति के विभिन्न पैमाने शामिल हैं।

पीएमएवाई-जी के तहत शौचालय, रसोईगैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पेयजल जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित पक्के मकानों से गाँवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कुछ राज्यों में पीएमएवाई-जी मकान समूह/कॉलोनियों में बनाए जा रहे हैं, जो आमतौर पर भूमिहीन लाभार्थियों के लिए है और विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं को मिलाकर इनमें कई प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

रूर्बन मिशन ने भी गाँवों में शहरी-ग्रामीण क्लस्टर बनाने में काफी योगदान किया है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से अलग-थलग बस्तियों के रूप में नहीं हैं बल्कि आसपास बसी बस्तियों के झुंड के हिस्से हैं। इन झुंडों में वृद्धि की संभावना नजर आती है, ये आर्थिक वाहक रहे हैं और इन्हें स्थान तथा प्रतिस्पर्धा के फायदे मिलते हैं। इसलिए ऐसे झुंडों या क्लस्टरों के लिए अनुकूल नीतियाँ बनानी चाहिए। इन क्लस्टर को विकसित होने के बाद 'रूर्बन' नाम दिया जा सकता है। इसी बात पर ध्यान देते हुए भारत सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना है।

आर्थिक दृष्टिकोण से इन क्लस्टरों के लाभ देखकर और बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं के अधिक से अधिक फायदे उठाने के लिए मिशन ने 300 रूर्बन क्लस्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इन क्लस्टरों में आवश्यक सुविधाएँ दी जाएंगी, जिनके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर संसाधन जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन क्लस्टरों के केंद्रित विकास के लिए इसके बाद क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) के जरिए धन प्रदान किया जाएगा। इस मिशन के तहत ये बड़े परिणाम मिलने की आशा है-

1. शहरों और गाँवों के बीच आर्थिक, तकनीकी, सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित खाई पाटना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी घटाने पर जोर देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
3. क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।

समग्रतः दुनियाभर का खासकर विकासशील देशों का ध्यान ग्रामीण विकास पर है। भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत महत्व है, जहाँ लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में ग्रामीण विकास की वर्तमान रणनीति पारिश्रमिक एवं स्वरोजगार के नए कार्यक्रमों के जरिए मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, आजीविका के बेहतर अवसरों, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास कार्यक्रम ने निश्चित रूप से गरीबी-रेखा के नीचे के कई परिवारों को पक्के मकान खरीदने योग्य बनाया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संपत्तियों (प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, तकनीकी एवं सामाजिक पूँजी) तथा सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण ग्रामीण जनता की आजीविका में निष्पक्ष तरीके से एवं लगातार सामाजिक व पर्यावरणीय सुधार होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए जून, 2015 में लक्ष्य की शुरूआत की गई।
- इसके तहत 2022 तक तकरीबन शहरी इलाकों में 1.2 करोड़ सस्ते घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले ही 47.5 लाख से ज्यादा सस्ते घरों के निर्माण को मंजूरी दे चुका है और 8 लाख से भी ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं, साथ ही इसे संबंधित लाभार्थियों को सौंपा भी जा चुका है।

शहरीकरण नए अंदाज में

पीएमएवाई (शहरी) की सफलता को समझने के लिए शहरीकरण के मामले में भारत में हो रहे अहम बदलाव को समझना जरूरी है। केंद्र सरकार ने शहरीकरण की अवधारणा को नई तरीके से अपनाया है। आज जहाँ खेती में देश की कुल कार्यबल का 40 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा लगा हुआ है, वहीं भारत के सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में खेती की हिस्सेदारी घटकर 16.4 फीसदी पर पहुँच गई है। दूसरी तरफ, सेवाओं की हिस्सेदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और आज यह आँकड़ा 55.2 फीसदी के स्तर पर पहुँच गया है। सेवा क्षेत्र का ठिकाना अपनी प्रकृति के मुताबिक शहरी इलाकों में ही है। देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि वे सेवा क्षेत्र में रोजगार की तलाश करेंगे, लिहाजा उन्हें इसके लिए शहरी केंद्रों में जाना पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार, 2030 तक लगभग 60 करोड़ भारतीय या देश की आबादी का 40 फीसदी हिस्सा शहरों में रहेगा।

भारत में जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की शुरूआत से ही शहरीकरण को तवज्जह देना शुरू कर दिया। 'शहरों और मानवीय बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाएं' शीर्षक से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्य 11 के तत्वों को भारत ने एसडीजी से पहले अपने विकास के एजेंडे में शामिल कर लिया और 2030 का विकास का एजेंडा औपचारिक तौर पर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। इस सिलसिले में पीएमएवाई (शहरी) योजना गौर करने लायक है।

सरकार ने जून, 2015 में इस मिशन को शुरू किया, जबकि इस संबंध में अपने इरादों के बारे में जुलाई 2014 में ही एलान कर दिया। इसके अलावा, एसडीजी के तहत 2030 तक लक्ष्यों को हासिल करने की बात है, जबकि पीएमएवाई (शहरी) का इरादा 2022 तक ही हर भारतीय के लिए घर सुनिश्चित करना है क्योंकि साल 2022 में भारत आजादी की 75वीं वर्षगाँठ मनाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर अमल चार बिंदुओं के जरिए किया जा रहा है-

- झुग्गियों के स्थान पर नये घर का निर्माण
- साझेदारी में सस्ता आवास (एसएचपी)

- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)
- लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण (बीएलसी)

इन बिंदुओं के जरिए यह मिशन सस्ते घर के पूरे दायरे को समेटता है यानी बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे झुग्गीवासी, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय और मध्य वर्ग के लोग जिन्हें सस्ता बैंकिंग वित्तपोषण चाहिए और जिनके पास जमीन है, लेकिन घर बनाने के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत है। यह मिशन जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर निर्णय करने के लिए लाभार्थी के फैसले पर भरोसा करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद भी सरकार के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर काफी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जो इस प्रकार है-

- एकल खिड़की सिस्टम का अभाव
- नियमित मॉनिटरिंग का अभाव
- कर्मचारियों का दक्ष न होना
- जमीन अधिग्रहण की समस्या
- सरकार की स्पष्ट नीति का अभाव
- लोगों में जागरूकता का अभाव
- फंडिंग के अभाव में योजनाओं का सही से कार्यान्वयन न होना
- सरकारी प्रतिष्ठानों में समाज के प्रभुत्व संपन्न वर्गों का वर्चस्व, जिससे गरीब लोगों को इस योजना का लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, इस योजना के सही से कार्यान्वयन के लिए कुछ ठोस नीतिगत उपायों को अपनाने की जरूरत है। सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिए, जो इस योजना से संबंधित सतही स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करें और सरकार को समय-समय पर सुझाव दें। सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को योजनाओं से रूबरू कराना चाहिए, साथ ही समय पर फंडिंग करके आदि के माध्यम से इस योजना को आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। इस तरह की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वित करके प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के नारे को सफल बनाया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- निवेश मॉडल।

■

5. आरसीईपी और भारतः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में 16 सदस्यीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) देशों के व्यापार मंत्रियों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) हेतु फिलीपींस में एक बैठक 30-31 अगस्त को आयोजित की गई। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें भारत को यह तय करना था कि भारत इस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल हो अथवा न हो। इसी वजह से, आरसीईपी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा 4 मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। इसके अलावा इस समिति में वित्त मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री (पूर्व वाणिज्य मंत्री) निर्मला सीतारमण तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। मुख्यतः समिति को यह तय करनी थी कि यह मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) देश के हित में है अथवा नहीं।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2012 में आसियान समूह के 10 देशों तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के 6 देशों ने मिलकर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) का गठन किया। प्रारंभ में इन 16 देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सदस्य देश आपस में मिलकर भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करेंगे। वर्ष 2012 के पश्चात इन सभी सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ताएँ आयोजित की गईं। प्रारंभ में आरसीईपी द्वारा यह तय किया गया कि 2-3 साल के अंदर मुक्त व्यापार समझौते को लेकर कोई सकारात्मक हल प्राप्त कर लिया जाएगा लेकिन अभी तक आपस में मतभेद बरकरार है।

हालांकि वर्तमान में समझौता वार्ताएँ इस स्तर पर पहुँच चुकी हैं कि अब अगर कोई देश इस समझौते का विरोध करता है अर्थात कोई देश यह कहे कि आरसीईपी में जिन शर्तों पर मुक्त व्यापार समझौता किया जा रहा है उन शर्तों पर उस देश को आपत्ति है, जिस कारण वह देश इस मुक्त व्यापार समझौते के लिए सहमत नहीं है, तो आरसीईपी द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वह देश जिसको मुक्त व्यापार समझौते पर विरोध है वह इस समूह से अवकाश ग्रहण कर सकता है। हालांकि कुछ समय बाद वह देश आरसीईपी के मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हो सकता है। वर्तमान में यहीं मुद्दा भारत के समक्ष प्रस्तुत हो गया है, क्योंकि भारत आरसीईपी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में अपने हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित होने पर कई शर्तों पर इस समझौते का विरोध कर रहा है। अतः इसी तथ्य की अंतिम परिणति हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 4 सदस्यीय मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया।

आरसीईपी के मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत का पक्ष

भारत आधिकारिक रूप से आरसीईपी को सकारात्मक और बहुत गतिमान पहल मानता है, बस उसका कहना है कि चीन, जापान सरीखे देशों के साथ व्यापार में शुल्कों को कम या खत्म करने के लिए हमें कुछ समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन देशों से हमारा व्यापार संतुलन सकारात्मक नहीं है। भारत के आसियन देशों, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (व्यापार के लिए सरल प्रक्रियाएँ, विशेष और कम व्यापार शुल्क व्यवस्था आदि) हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ समझौते की प्रक्रिया जारी है, किन्तु चीन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक सच्चाई है कि भारत के लिए इस तरह के सौदे सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के लिए नकारात्मक साबित होंगे। बहुत से बौद्धिक वर्गों एवं संगठनों का कहना है कि भारत सरकार पारदर्शी तरीके से इस विषय पर देश के भीतर हितधारकों और प्रभावित होने वाले समूहों से

कोई बात नहीं कर रही है। पिछले तीन सालों की प्रक्रिया से यह नजर आता है कि वास्तव में सरकार और व्यापारिक-औद्योगिक संगठन मिलकर अंतिम निर्णय ले लेना चाहते हैं। ऐसे में पूरी आशंका है कि पूँजीवादी हितों और बाजारवादी विकास के लिए किसानों, मजदूरों, नागरिकों, लघु और मध्यम उद्योगों, पर्यावरण और देशज प्राकृतिक संसाधनों के हितों को दाँव पर लगा दिया जाए। हालांकि इसमें सच्चाई का अभाव है।

आरसीईपी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत कई शर्तों पर विरोध प्रकट करता है। अगर इन शर्तों को नकारते हुए भारत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो इससे भारतीय आर्थिक हित प्रभावित होंगे। भारत द्वारा आरसीईपी के मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पहला तर्क दिया जाता है कि आरसीईपी के सभी देशों के लिए समान टैरिफ नहीं हो सकता, क्योंकि चीन के साथ भारत का पहले से ही ट्रेड डिफिसिट (व्यापार घाटा) की स्थिति है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कोई ABC उत्पाद म्यांमार से आयात करते हैं और उस पर टैरिफ लगाया जाता है 2%। यदि हम इसी ABC उत्पाद को चीन से आयात करें तो वहाँ पर हम 2% टैरिफ नहीं लगा सकते। वहाँ हमें ज्यादा टैरिफ लगाना पड़ेगा क्योंकि चीन की जो ABC उत्पाद की उत्पादन क्षमता है वह म्यांमार की नहीं है। इसलिए भारत का तर्क है कि विभिन्न देशों के लिए विभिन्न तरह का टैरिफ होना चाहिए।

अगर सभी सदस्य देशों के लिए एक समान टैरिफ होगा तो ऐसी स्थिति में चीन सभी देशों में अपने उत्पादों को निर्यात करेगा जिससे बाकी देशों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अर्थात, अलग-अलग देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग टैरिफ होना चाहिए। भारत के इस बात से बाकी देश भी सहमति व्यक्त करते हैं।

भारत का दूसरा तर्क यह है कि 'आसियान' के कुछ देश भारत के बाजार में अत्यधिक प्रवेश चाहते हैं जबकि आसियान के कुछ देशों और भारत के मध्य कुछ उत्पादों पर विवाद बना हुआ है। इन उत्पादों के परिप्रेक्ष्य में आसियान देश अकसर भारत से इन उत्पादों पर टैरिफ को कम करने की माँग करते हैं। अर्थात भारत इन उत्पादों पर आयात ड्यूटी को कम करें जबकि भारत द्वारा इसके प्रतिउत्तर में कहा जाता है कि इन उत्पादों पर टैरिफ को कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो घरेलू तौर पर हमारे किसानों के हित प्रभावित होंगे और उनकी आय में कमी आएगी, जबकि पहले से ही किसानों की आय स्तर बहुत कमजोर है। लेकिन आसियान देश अधिकाधिक दबाव बना रहे हैं और भारतीय बाजार को अत्यधिक खुला करने की बात करते हैं। भारत का तीसरा तर्क है कि आसियान देश और दूसरे देश सेवा क्षेत्र को अत्यधिक उदार बनाएं ताकि भारतीय कामगार आसानी से काम करने के लिए आसियान देशों में जा सकें क्योंकि भारत की स्थिति सेवा क्षेत्र में काफी मजबूत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सहित कई आसियान देश ऐसा नहीं चाहते।

उदाहरण के तौर पर, फिलीपींस और इण्डोनेशिया सेवा क्षेत्र में काफी मजबूत हैं। इसी वजह से वह सर्विस रिजीम (सेवा व्यवस्था) में छूट प्रदान नहीं करना चाहते हैं। जबकि भारत द्वारा इस आधार पर तर्क दिया जाता है कि आरसीईपी सिर्फ वस्तुओं (उत्पादों) के क्षेत्र में ही फ्री ट्रेड के लिए समझौता करना चाहते हैं। सेवा क्षेत्र में फ्री सर्विस रिजीम पर समझौता नहीं करना चाहते हैं।

भारत के आरसीईपी में शामिल होने पर प्रभाव

यदि आरसीईपी के तहत भारत शुल्कों में 100 प्रतिशत कटौती करता है तो सभी देशों को फायदा होगा क्योंकि 15 में से केवल चार देश (कम्बोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम) ऐसे हैं, जिनके साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष (इन देशों को भारत का निर्यात आयात की तुलना में 3.98 अरब डॉलर ज्यादा है) में है। यानी भारत उन्हें निर्यात ज्यादा करता है और वहां से आयात कम। बाकी के ग्यारह देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक है। इन देशों को भारत का आयात निर्यात की तुलना में 126.36 अरब डॉलर ज्यादा है। इस संधि से चीन का व्यापार 13.52 अरब डॉलर, मलेशिया का 4.74 अरब डॉलर, कोरिया का 3.36 अरब डॉलर, थाईलैंड का 2.19 अरब डॉलर और जापान का 2.18 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। देश के विकास के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। यदि भारत आरसीईपी को स्वीकार कर लेता है तो इसे शुल्कों में कटौती करनी पड़ेगी। इससे भारत के बजट में 19.3 अरब डॉलर की कमी आयेगी। इसका असर केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि वर्ष 2015 की स्थिति का आकलन करने पर पता चलता है कि आरसीईपी के फलस्वरूप भारत का आयात भार 23.58 अरब डॉलर बढ़ जाएगा क्योंकि शुल्कों में 100 प्रतिशत कटौती से कई वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना सस्ता हो जाएगा। आरसीईपी के प्रावधानों से पता चलता है कि यह केवल व्यापार संतुलन को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों (बिग कॉर्पोरेशंस) को यह शक्ति देगा कि उन्हें स्थानीय कानूनों के तहत स्थानीय अदालतों में चुनौती न दी जा सके। ये प्रतिष्ठान किसी भी परिस्थिति में देश की सरकारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में प्रकरण दर्ज करवा सकेंगे। मौजूदा स्थिति यह है कि सरकारों के खिलाफ 31 अरब डॉलर की राशि के बराबर के 50 मामले दर्ज किये जा चुके हैं। जैसाकि ज्ञात है इंडोनेशिया सरकार ने सेमेक्स नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी को एक स्थानीय कंपनी पर कब्जा नहीं करने दिया, इसके लिए उसे 33.7 करोड़ डॉलर का मुआवजा चुकाना पड़ा। अब तक दर्ज मामलों में से एक तिहाई मामलों में सरकारों ने पर्यावरण कानून के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रोका है, इसलिए सरकारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों में मामले दर्ज हुए। उल्लेखनीय है कि आरसीईपी के समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन भी नहीं हुए हैं। विदित हो कि भारत सरकार के कुल राजस्व में से लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा आयात शुल्क से अर्जित होता है। जिस तरह के द्विपक्षीय व्यापार समझौते करके शुल्कों को कम किया जा रहा है, इससे सरकार का राजस्व कम होगा, जिसकी भरपाई करने का काम जीएसटी के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ा कर किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की तरह ही आरसीईपी भी निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा उदारवादी नीतियाँ एवं कम से कम कानूनी नियंत्रण चाहती हैं। वे चाहती हैं कि बौद्धिक सम्पदा पर बाजार का हक हो, सेवाओं के लिए ज्यादा खुले अवसर हों और नियमन को सीमित किया जाए। इस विषय पर देश में बिन्दुवार चर्चा की जरूरत है।

भारत का आरसीईपी में शामिल होने के पक्ष में तर्क

चूंकि वार्ता इस स्थिति में पहुँच चूंकि हैं जहाँ भारत को यह निर्णय लेना ही होगा कि भारत को आरसीईपी में शामिल होना चाहिए या नहीं। इस आधार पर निम्न बातें कही जा सकती है। टीपीपी (ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप) समूह जिसकी सफलता पर संदेह है क्योंकि इससे यूएसए बाहर हो गया लेकिन इसके अलावा बाकी बचे हुए 11 देशों ने एक कंप्रीहेंन्सिव एण्ड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर टीपीपी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा भारत ने ऐपेक की सदस्यता के लिए काफी लंबे समय से आवेदन किया हुआ है लेकिन ऐपेक की सदस्यता भारत को अभी तक हासिल नहीं हुई। अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर इन बड़े समझौतों में भारत उपस्थित नहीं है, इस वजह से भारत का

आरसीईपी में शामिल होना जरूरी है। अगर भारत इसमें शामिल नहीं होगा तो भारत अकेला पड़ जाएगा और यदि आरसीईपी सफल नहीं होता तो आसियान देशों के पास तो विकल्प है क्योंकि ज्यादातर देश ऐपेक के सदस्य हैं। यहाँ तक कि जो देश कंप्रीहेन्सिव एण्ड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर टीपीपी में शामिल होना चाहते हैं, आगे चलकर वह इस समझौते में भी शामिल हो सकते हैं।

यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस समझौते में यूएसए नहीं है तो चीन इस पूरे समझौते का नेतृत्व कर सकता है। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है यदि आरसीईपी को प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो बाकी जो दूसरे समझौते हैं वह स्वत: ही उभरेंगे और दूसरे देशों को ज्यादा आकर्षित करेंगे।

दूसरा, अगर आरसीईपी में अंतत: भारत शामिल नहीं होता है लेकिन चीन शामिल होता है तो इससे चीन का पूरे क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ेगा। तीसरा, अगर भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होता तो यह भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति के अनुरूप नहीं होगा क्योंकि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य आसियान के साथ और पूर्व में जो अन्य देश हैं उनके साथ संबंधों को बढ़ाना है। चौथा, अगर आरसीईपी 16 देश के साथ सफल होता है तो 16 देशों की जीडीपी पूरे विश्व की कुल जीडीपी का 43% है। लेकिन कुछ देश अगर आरसीईपी में शामिल नहीं होते हैं तो गलत संदेश जाएगा और भारत बहुत से उपयोगी अवसरों को खो देगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में भारत को एक बड़े बाजार की आवश्यकता है जो आसियान देश और आरसीईपी देशों के द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अत: भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत ने आरसीईपी के सदस्यों को अब तक यह संकेत दिया है कि वह लगभग 80 प्रतिशत वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त करने के लिये सहमत हो सकता है बशर्ते चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से उसे बड़ी संख्या में आयात के संरक्षण की अनुमति दी जाए। इन देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता भी नहीं है। हालाँकि, चीन के साथ भारत प्रशुल्क कटौती को लागू करने के लिये 10 वर्ष से अधिक समय चाहता है।

इन आधारों पर भारत और आरसीईपी के सदस्य देशों के साथ कोई उचित समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को अपने आर्थिक हितों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

6. वेनेजुएला का आर्थिक संकटः विश्व के लिए एक सबक

चर्चा का कारण

पिछले कई वर्षों से चला आ रहा वेनेजुएला का आर्थिक संकट वर्तमान में चरम स्थिति पर पहुँच गया है। वेनेजुएला कभी एक बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश हुआ करता था परन्तु आज यह अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण वेनेजुएला से लोग पलायन कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। जिससे अपराध की दर अत्यधिक हो गई हैं और बीमारी तथा महामारी जैसी समस्याएँ आज सम्पूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। वेनेजुएला में मुद्रास्फीति की स्थिति भयंकर हो चुकी है। लोग झुंड के झुंड देश को छोड़ रहे हैं, खाद्य का अभाव है और सर्वत्र भयानक दरिद्रता है।

पृष्ठभूमि

20वीं शताब्दी की शुरूआत में वेनेजुएला में कच्चे तेल की खोज की गई और आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है तथा यह तेल के दुनिया के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। पहले, देश कॉफी और कोको जैसे कृषि वस्तुओं का एक अविकसित निर्यातक था लेकिन तेल, जल्द ही निर्यात और सरकारी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। 1980 के दशक के तेल संकट के कारण देश को बाहरी ऋण संकट और दीर्घकालिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। 1996 में मुद्रास्फीति 100% पर पहुँच गई और गरीबी दर 1995 तक 66% तक बढ़ चुकी थी। 1998 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी 1963 के स्तर तक गिर गई, जोकि उसके 1978 के शीर्ष का तिहाई था। 2000 के दशक के शुरू में तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से वेनेजुएला के पास पुन: धन आने लगा। वेनेजुएला सरकार ने तब लोकलुभावन सामाजिक कल्याण नीतियों की स्थापना कर वेनेजुएला अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिये और सामाजिक खर्च में वृद्धि कर अस्थायी रूप से आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करने का कार्य किया। हालांकि, इस तरह की लोकप्रिय नीतियां अपर्याप्त रही, जोकि देश के पतन का कारण बना- इसमें असाधारण चरम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी प्रमुख है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए व्यापक रूप से दोषी ठहराया गया। अस्थिर अर्थव्यवस्था के कारण वेनेजुएला बोलिवियाई संकट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अतिस्फीति, आर्थिक मंदी, मूल वस्तुओं की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, बाल मृत्यु दर, कुपोषण और अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। 2017 तक, वेनेजुएला को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण भुगतान के संबंध में दिवालिया घोषित किया गया था। 2018 में देश में संकट, अति मुद्रास्फीति से और बढ़ गया है। वर्तमान में एक अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक मुद्रास्फीति दर 1,000,000% हो गई।

आर्थिक संकट के कारण

वेनेजुएला विकट मुद्रास्फीति से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का कहना है कि आज वेनेजुएला की वही स्थिति है जो सन् 2000 में जिम्बाब्वे और 1920 के दशक में जर्मनी की थी। सरकार का दावा है कि ये सब कुछ विपक्षियों के षडयंत्र और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के पीछे मुख्य कारण खनिज तेल के मूल्य में 2014 से लगातार हो रही गिरावट है। इस देश के पास खनिज तेल का बहुत बड़ा भण्डार है और इसके राजस्व का स्रोत 96% तेल के निर्यात से ही आता था। लेकिन 2014 में तेलों के दाम आश्चर्यजनक रूप से गिर गये इससे इस देश के पास विदेशी मुद्रा बहुत ही घट गयी। इस कारण खाद्य पदार्थ और दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात कठिन हो गया। लैटिन अमेरिकी देशों में तेल की कीमत गिरने का सबसे ज्यादा नुकसान वेनेजुएला को उठाना पड़ा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वेनेजुएला की 95 प्रतिशत आय तेल और गैस से होती है। 2013 और 2014 में देश

ने जहां लगभग प्रति बैरल 100 डॉलर या उससे पहले ह्यूगो चावेज (तत्कालीन राष्ट्रपति) 140 डॉलर प्रति बैरल तेल बेचा था, वहीं निकोलस मादुरो (वेनेजुएला के राष्ट्रपति) के समय ये कीमतें 25 डॉलर प्रति बैरल रह गयीं। वेनेजुएला दो साल पहले 75 बिलियन डॉलर का तेल निर्यात किया करता था। 2016 में यह महज 27 बिलियन डॉलर रह गया है। मादुरो ने इससे उपजे संकट से निकलने के जो उपाय किये, वे और भी घातक सिद्ध हुए। उल्लेखनीय है कि फरवरी में निकोलस को विशेष आर्थिक अधिकार दिया गया था, जिसका उपयोग करते हुए निकोलस ने वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवर का अवमूल्यन कर दिया और तेल की कीमतें बढ़ा दीं। तेल की कीमतों में 6000 प्रतिशत की वृद्धि करने के सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ गयी। मादुरो इसके जरिये अर्थव्यवस्था में बचत का उपाय खोज रहे थे, लेकिन इसने अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया।

तेल की कीमतों के गिरने से आय में हुई कमी को सरकार ने करेंसी नोट छाप कर भरपाई करने की कोशिश की, जो एक परंपरागत गलती है जिसे अधिकांश सरकारें दोहराती चली आयी हैं। करेंसी नोट छापने से जनता में प्रभावी माँग तथा उनकी क्रय क्षमता काफी बढ़ गयी। चूंकि माँग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पायी इसलिए एक तरफ लंबी-लंबी कतारें लगनी शुरू हो गयीं और दूसरी तरफ करेंसी की कीमतें गिरनी अथवा वस्तुओं की कीमतें उठनी शुरू हो गयीं। देखते-देखते 300 से 350 प्रतिशत के इर्द-गिर्द मुद्रास्फीति की दर पहुँच गयी। कुछ समय पहले तक वहां अमेरिकी डॉलर 200 बोलिवर के बराबर था, जबकि अब वह लगभग 1000 बोलिवर है।

वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में धन की कमी ने आयातों में कमी के लिए विवश किया, जिससे आयात घट गये और लगभग सभी सुपर मार्केट खाली हो गये। वस्तुओं की कालाबाजारी होने लगी तथा वेनेजुएला की सरकार कालाबाजारी एवं अवैध व्यापार को रोकने में असफल रही। अति मुद्रास्फीति और अवमूल्यन ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया, जिससे निकलने की अभी कोई राह दिखती नजर नहीं आ रही है।

राजनीतिक कारण: वेनेजुएला में हुए राजनीतिक परिवर्तन बहुत हद तक आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है, जिसके चलते मादुरो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 16 सालों तक देश में शासन करनेवाली ह्यूगो चावेज की युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला (पीएसयूवी) दिसंबर, 2015 में हुए चुनाव में 167 सीटों वाली संसद में विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक यूनिटी राउंडटेबल (एमयूडी) द्वारा प्राप्त की गयी 112 सीटों के मुकाबले महज 55 सीटों पर ही सिमट गयी।

परिणाम यह हुआ कि वेनेजुएला के एक सदन वाली संसद में राष्ट्रपति का दल अल्पमत में है और वह संसद द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति के लिए बाध्य है। तात्पर्य यह हुआ कि देश आगे बढ़ने की बजाय राजनीतिक संघर्ष के दलदल में धंसता गया और उसी में समाजवादी नीतियाँ तथा उपाय तिरोहित होते चले गये।

आर्थिक संकट के प्रभाव

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वेनेजुएला का आयात 50% घट गया। यहाँ न्यूनतम मजदूरी 1 डॉलर महीना हो गया जिस कारण लोग बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएँ खरीद नहीं पा रहे हैं। आयातित वस्तुओं की कमी के कारण देश में कालाबाजारी चरम पर है। हर 26वें दिन वस्तुओं के दाम दुगुने हो जाते हैं। इस वर्ष फरवरी में हुआ एक सर्वेक्षण कहता है कि देश के लगभग 90% लोग गरीबी में रह रहे हैं और भूखे रहने को विवश हैं। देश में औषधियों की भी कमी है और जनस्वास्थ्य प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गयी है। लोग पैसा कमाने के लिए अपराध करने पर उतारू हो गये हैं। हाल ही में कराये गये एक गैलप (Gallup) अध्ययन के अनुसार विश्व के विधि व्यवस्था सूचकांक, 2018 में वेनेजुएला का स्थान सबसे नीचे है। यहाँ के 42% लोगों ने बताया कि पिछले साल उनके साथ लूट की वारदात हुई और 25% लोगों ने बताया कि उनके साथ मार-पीट भी हुई थी। देश के आर्थिक संकट से क्रुद्ध होकर कई देशवासी देश को छोड़ने लगे हैं। 2015 के बाद 16 लाख लोग देश के बाहर जा चुके हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का कहना है। उत्प्रवासन की यह दर बढ़ती ही जा रही है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र चेतावनी भी दे चुका है। अधिकांश उत्प्रवास पड़ोस के कोलम्बिया देश में और उसके बाद इक्वेडोर, पेरू और चिली में हुआ है। कुछ लोग ब्राजील भी चले गये हैं। वेनेजुएला में आर्थिक संकट का असर गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ रहा है और उन्हें अपने बच्चे को जन्म देने के लिए पड़ोसी देश ब्राजील जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अपने देश में गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों, दवाइयों और डायपर की कमी के कारण ये महिलाएं ब्राजील जा रही हैं जहां हर दिन वेनेजुएला के तीन बच्चों का जन्म हो रहा है। वेनेजुएला के संकट के कारण ब्राजील के रोराइमा राज्य पर भार बढ़ गया है जिससे वहां अपराध, देह-व्यापार और बीमारी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

आर्थिक संकट के समाधान हेतु किये गए प्रयास

भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा वेनेजुएला महंगाई से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार करने जा रहा है जिसके अंतर्गत वह अपनी मुद्रा का 95 फीसदी तक अवमूल्यन करने जा रहा है। इसके अलावा वेनेजुएला की सरकार न्यूनतम मजदूरी में 3000 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे आसमान छूती महंगाई पर लगाम लगाने वाला कदम बताया है। इसके अलावा रिकवरी पैकेज के तहत कई कदम उठाए जाएंगे जैसे कि टैक्स बढ़ाना, कुछ ड्राइवरों के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना और रिब्रैंडेड करेंसी लाना। वेनेजुएला की नई करेंसी 'सॉवरेन बोलिवर' में अब पहले की करेंसी बोलिवर की तुलना में 5 जीरो कम हो जाएंगे। मदुरो ने कहा कि वेनेजुएला अब एक आर्थिक चमत्कार से होकर गुजरने वाला है। वेनेजुएला में महंगाई इस कदर तक बढ़ गई है कि एक किलो मीट के लिए 95 लाख बोलिवर देने पड़ रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्री महँगाई को दिखाने के लिए एक कप कॉफी की कीमत का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि 31 जुलाई को वेनेजुएला की राजधानी में एक कप कॉफी के लिए लोग 25 लाख बोलिवर चुका रहे थे। अब नई व्यवस्था के तहत, एक कप कॉफी की कीमत 25 सॉवरेन बोलिवर्स हो जाएगी। खाद्य संकट और दवाइयों की कमी के बीच वेनेजुएला के 500,000 से ज्यादा नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि वेनेजुएला में इस साल के अंत तक महंगाई 10 लाख प्रतिशत की दर तक बढ़ जाएगी। IMF की भविष्यवाणी के बाद ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश की बोलिवर मुद्रा में 1 लाख कीमत वाले नोट से पांच शून्य को हटाने का ऐलान किया था। अब इसकी कीमत 1 बोलिवर जितनी हो जाएगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने नए आर्थिक सुधारों को लागू करते हुए कहा, 'मैं चाहता हूं कि देश की हालत सुधरे और मेरे पास इसके लिए फार्मूला है। वेनेजुएला के 55 वर्षीय नेता ने कहा, 'हम आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में देश की हालत सुधारने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। यह बेहद क्रांतिकारी फॉर्मूला है। हालांकि अर्थशास्त्रियों और विपक्षी

पार्टी के सदस्यों को यकीन नहीं है कि इस योजना से आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा। हालत ये है कि अब वेनेजुएला में 'कौन बनेगा करोड़पति' शो को बंद करना पड़ा क्योंकि इनाम की राशि की अब कोई कीमत ही नहीं रह गई है। विपक्ष के नेता हेनरिक कैप्रिल्स ने मादुरो के इस कदम को वेनेजुएला का 'ब्लैक फ्राइडे' बताया है।

विभिन्न देशों का पक्ष

वेनेजुएला को न केवल अमरीका की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है बल्कि मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, स्पेन और यूरोपीयन यूनियन की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि वेनेजुएला को चीन और रूस के साथ-साथ भारत की तरफ भी देखना पड़ सकता है। अभी तक केवल रूस ने उन देशों से बात की है जो वेनेजुएला के इस संकट में उसका साथ दे रहे हैं। हालांकि चीन और भारत वेनेजुएला के मसले पर खामोश हैं। अमरीका के अलावा केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो वेनेजुएला से नकदी देकर तेल खरीदता है। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस, चीन और भारत से वेनेजुएला क्या उम्मीद रख सकता है?

चीन का पक्षः वेनेजुएला पर चीन का 65 अरब डॉलर का कर्जा है और ये कोई मामूली रकम नहीं है। हाल के वर्षों में इससे दोनों देशों के रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वेनेजुएला से तेल निर्यात पर अमरीका रोक लगाता है तो चीन इसका वैकल्पिक बाजार नहीं बन सकता। चीन को तेल बेचकर वेनेजुएला को ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है क्योंकि उससे मिलने वाला पैसा कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। इस बारे में भी स्थिति साफ नहीं है कि चीन अपने कर्ज में कोई राहत देने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि बीजिंग वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। पिछले साल जून में चीन के प्रतिनिधियों ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। इसका मकसद ये था कि सरकार बदलने की सूरत में उनका कर्ज सुरक्षित रहे और इससे भी अहम बात ये है कि चीन के अच्छे रिश्ते वेनेजुएला के उन पड़ोसी देशों से भी हैं जो उसकी नई सरकार को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इन बातों से ये संकेत मिलते हैं कि चीन अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगा।

भारत का पक्षः वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के भारत दौरों की वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि भारत को वहां के हालात की खबर होगी। पूर्व राजदूत नीलन देव कहते हैं, "वामपंथी समर्थकों के अलावा भारत में तेल उद्योग और दवा इंडस्ट्री के लोग वेनेजुएला पर नजर रखे हुए हैं। भारत के दवा उद्योग के लिए वेनेजुएला महत्वपूर्ण बाजार है। हालांकि देर से भुगतान की वजह से उन्हें नुकसान जरूर हो रहा है।" इसके साथ ही भारत को तेल की बिक्री से होने वाली आमदनी भी निकोलस मादुरो की सरकार के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई का बड़ा जरिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों की वजह से ये कमाई अब गिरकर आधी रह गई है। पेट्रोलियम की गिरती कीमतों ने सबसे ज्यादा वेनेजुएला को परेशान किया है। नीलन देव का कहना है कि नए हालात में भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने में कोई बड़ी कटौती नहीं करने वाला है, लेकिन इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में कोई तरक्की भी नहीं होने वाली है। वेनेजुएला के आंतरिक मसलों पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक निर्णय लेने की भी फिलहाल कोई तस्वीर नहीं बनती दिखती। सितंबर 2016 में वेनेजुएला में गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की थी। इसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि भारत वेनेजुएला से दूरी बनाये हुए है। हालांकि भारत सरकार वेनेजुएला के संकट पर निरंतर नजर रखे हुये हैं।

निष्कर्ष

वेनेजुएला संकट उस स्थिति में पहुँच गया है जहाँ यह आर्थिक संकट सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित न रहकर एक वैश्विक रूप ले रहा है। इस संकट का प्रभाव वेनेजुएला के पड़ोसी देशों पर अधिक पड़ रहा है जिसमें ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके साथ ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति की आर्थिक सुधार नीतियाँ भी कुछ खास सफल नहीं हो रही हैं और ऐसे संकट में सबसे बड़ा कार्य अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा किया जा सकता है। विश्व के सभी देशों को एक साथ मिलकर वेनेजुएला के आर्थिक संकट से उबरने हेतु कुछ प्रयास जरूर करने चाहिए तभी वेनेजुएला की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

7. प्रथम ड्रोन नीतिः वर्तमान भारत की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन या दूरस्थ रूप से संचालित विमान के वाणिज्यिक उपयोग हेतु ड्रोन नीति से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि यह नीति 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी होगा।

ड्रोन क्या है?

ड्रोन एक मानव रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) है, इसलिए इसे ड्रोन कहा जाता है। अर्थात् यह रिमोट से संचालित होने वाला छोटा विमान है। यह विमान जैसा प्रतीत होता हुआ भी विमान नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोबोट है जो उड़ सकता है। यह प्रायः बैटरी के चार्ज होने पर चार पंखों से लैस ड्रोन लंबी उड़ान भरने में सक्षम होता है। 'ड्रोन' को हिंदी में कहा जाता है- नर मधुमक्खी। साथ ही उड़ने के कारण ही इसे इस नाम से जाना जाता है। यह बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उड़ता है तथा एक जगह पर स्थिर रहकर मंडरा भी सकता है। ड्रोन कई प्रकार के हो सकते हैं, जो उनके आकार, दायरे, स्थिरता और भार उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इनमें आमतौर पर स्थिर पंख एवं रोटर रहते हैं तथा ये बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीपीएस प्रणाली के जरिए काम करने वाले अलग-अलग ड्रोन की कार्यक्षमता भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। वर्तमान में सामान्य तौर पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की रेंज 100 कि.मी. तक है। एक बार बैटरी चार्ज होने पर यह काफी ऊँचाई पर लगभग 100 कि.मी. प्रतिघंटा की गति से उड़ सकता है। इसकी बैटरी लगभग डेढ़ घंटे तक चलती है।

ड्रोन को जब बनाया गया था तो यह महज एक खिलौना था। वक्त के साथ इसकी जरूरतें बदलने लगीं। अब उसका इस्तेमाल निगरानी रखने से लेकर युद्ध के मैदान में भी शुरू हो गया है। जैसे-जैसे कंप्यूटर स्मार्ट होते जा रहे हैं, ड्रोन भी स्मार्टनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब इंसानी कंट्रोल की दरकार धीरे-धीरे कम हो जाएगी और एक खास

कमांड देकर सारा काम ड्रोन पर ही छोड़ा जा सकेगा। मिसाल के तौर पर फ्रांस की कंपनी हार्दिस ग्रुप ने सामान की गिनती करने वाला ड्रोन बनाया है। इसका नाम है–आईसी। एंड्रॉयड से चलने वाले इस ड्रोन में इंसान को केवल उड़ने का डेटा भर फीड करना होता है, इसके बाद सारा काम यह खुद करता है।

ड्रोन नीति क्या है?

कृषि, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे कार्यों के लिए ड्रोन (मानवरहित विमान) के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नए नियम को तय कर दिया गया है। फिलहाल जो नीति निर्धारित किए गए हैं, उसके तहत, 1 दिसंबर, 2018 से लागू इन नियमों के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से खाद्य सामग्री समेत कोई भी भारी वस्तु नहीं भेजी जा सकती है। विमानन मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2018 को ड्रोन नीति जारी की, जिसमें निजी ड्रोन का परिचालन सिर्फ दिन में ही किए जाने का प्रावधान है। दिसंबर से ड्रोन तकनीक के व्यावसायिक इस्तेमाल की मंजूरी सिर्फ विजुअल लाइन ऑफ साइट (जहाँ तक नजर देख सके) के लिए मिली है, अर्थात 450 मीटर तक। इस नीति के अंतर्गत नैनो ड्रोन और राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन तथा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को छोड़ सभी ड्रोन का पंजीकरण कराना होगा और उन्हें विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) दी जाएगी। हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय क्षेत्रों, संवेदनशील और अहम सैन्य ठिकानों तथा दिल्ली के विजय चौक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के आसपास का क्षेत्र, सचिवालय के आसपास से ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। ड्रोन का पंजीकरण कराने के बाद इसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल तरीके से उड़ाया जा सकता है। पंजीकृत ड्रोन का संपर्क स्थानीय पुलिस से बना रहेगा और पुलिस से अनुमति नहीं होने पर उसे नहीं उड़ाया जा सकता। विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बताया है कि अभी इसका परीक्षण चल रहा है। इसके सफल रहने पर दूसरी बार जारी नियमन में ड्रोन से खाद्य सामग्री की आपूर्ति पर भी विचार किया जा सकता है।

ड्रोन को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

क्र.सं.	ड्रोन	वजन क्षमता
1.	नैनो	250 ग्राम से कम, इसके लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं
2.	माइक्रो	250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक
3.	मिनी	2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक
4.	स्मॉल	25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक
5.	लार्ज	150 किलोग्राम से अधिक

पृष्ठभूमि

पहला ड्रोन कब बनाया गया, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। परंतु पहला मानव रहित विमान बनाये की कवायद प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान शुरू हुई। 1918 में अमेरिकी सेना ने हवाई तारपीडो का निर्माण शुरू किया। 'कैटरिंग बग' नाम के इस यंत्र के कुछ सफल परीक्षण हुए, लेकिन इसका पूर्ण विकास होने से पहले ही प्रथम विश्वयुद्ध खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद भी मानव रहित विमान उड़ाने के परीक्षण जारी रहे। 1935 में यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स ने 'द क्विन बी' नामक रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित पायलट रहित विमान बनाया। इसके लिए 1935 में पहली बार ड्रोन शब्द का इस्तेमाल हुआ।

जर्मनी के पिनोमुन आर्मी रिसर्च ने 1942 में वी-1 फ्लाईंग बॉम्ब का परीक्षण किया। इस दौरान अमरीकी सेना ने भी ड्रोन को निशाना साधने और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अमरीका के बी-17 फ्लाईंग फोर्टेस नाम के ड्रोन ने 6 अगस्त 1946 को मुरोक आर्मी एयर फील्ड से उड़ान भरी। अमरीका ने वियतनाम युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में मानवरहित विमान (यूएवी) तैनात किए थे। इस दौरान ड्रोन का इस्तेमाल पर्चे गिराने और टोही गतिविधियों के लिए हुआ। हालांकि पहली बार किसी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल फरवरी, 2002 में हुआ। 4 फरवरी, 2002 को सीआईआई ने ओसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान में पकटिया प्रांत के खोस्त कस्बे में ड्रोन से हमला किया। हालांकि जिस जगह को निशाना बनाया गया ओसामा बिन लादेन उस जगह नहीं था। लेकिन इससे पहले भी अफगानिस्तान के आकाश में हजारों अमरीकी ड्रोन उड़ान भर रहे थे। इसके बाद से दुनियाभर में अमरीकी ड्रोन के जरिए निगरानी के कार्यक्रम चलाए गए। इसी दौरान इजरायल और ईरान जैसे देशों में भी सैन्य और जासूसी ड्रोन का विकास किया गया। भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कई श्रेणी के ड्रोन का विकास कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति

'ड्रोन' शब्द का नाम सुनते ही जो मन में सबसे पहले ख्याल आता है, वह है पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर आतंकियों के सफाए के लिए उनके ठिकानों पर की जाने वाली अमेरिकी ड्रोन बमबारी। पाकिस्तान की सीमा में अमरीकी ड्रोन के मँडराने के वजह से, पाकिस्तान इस प्रकार भयभीत हुआ था कि इसने अपनी संप्रभुता को खतरा तक बता दिया था। इसी दौरान भारतवासी का परिचय ड्रोन से हुआ था। भारत ने 25 फरवरी, 2018 को स्वदेश निर्मित ड्रोन रूस्तम-2 का सफल परीक्षण किया। इसे अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर सैन्य निगरानी एवं टोह लेने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। यदि वर्तमान को 'ड्रोन युग' कहा जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

ड्रोन की माँग की बात करें तो आज यह बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। सर्वे एवं वेयर हाउस मैनेजमेंट से लेकर सीमा की निगरानी और बम गिराने में भी इसका उपयोग हो रहा है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और रिटेल सेक्टर की ज्यादातर कंपनियाँ रख-रखाव यानी लॉजिस्टिक्स के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। वे पैकिंग करते हैं, सामान को सलीके से रखते हैं और हर सामान का हिसाब भी रखते हैं। अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के देश भर में ढाई लाख से ज्यादा गोदाम हैं। इनमें छोटे-से-छोटा गोदाम भी 17 फुटबॉल के मैदान के बराबर होता है। ऐसे विशाल वेयरहाउस में आजकल ड्रोन ही बड़ी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। ड्रोन दुनिया भर में निम्नलिखित कार्यों को अंजाम दे रहे हैं-

- पुलिस और आर्मी के लिए सर्विलांस
- वेयर हाउस में सामान की गिनती और टैगिंग
- जमीन का सर्वे और अतिक्रमण के बारे में जानकारी जुटाना
- सामान की डिलिवरी का काम
- ऊँचे टावर और गहरी सुरंग के भीतर जाकर हालात का पता लगाना
- खदानों के भीतर जाकर जहरीली गैस आदि के बारे में पता लगाना
- फोटोग्राफी और मूवीज की शूटिंग के लिए
- खिलौने के तौर पर
- युद्ध में बम बरसाने वाले हथियार के तौर पर

भारत में ड्रोन

भारत के लिए ड्रोन और ड्रोन का उपयोग दोनों ही शुरूआती अवस्था में है। यहां ड्रोन बनाने वाली ज्यादातर कंपनियाँ मुश्किल से 5 साल पुरानी हैं और सभी में एक बात समान है कि उनके पास ज्यादातर काम सरकारी एजेंसियों का है। यह प्रोफाइल भी इन्हें दुनिया की बाकी मार्केट से अलग बनाता है। जहां यूरोप और अमेरिका में ड्रोन का इस्तेमाल प्राइवेट इंडस्ट्री धड़ल्ले से कर रही हैं, वहीं भारत में बिजनेस का बड़ा हिस्सा सरकारी एजेंसियों से आता है। ज्यादातर काम सर्वे का है। मिसाल के तौर पर रेलवे इससे अपने ट्रैक के आसपास की जमीन का सर्वे करवाती है। राज्य सरकारों की एजेंसियाँ जंगलों और हरियाली का

सर्वे करवाती हैं। किसी आपदा के वक्त ड्रोन से नजर रखने का काम लिया जाता है।

मुंबई की एयरपिक्स नाम की ड्रोन बनाने वाली कंपनी के को-फाउंडर का कहना है कि ज्यादातर काम सर्वे का ही है। इसलिए ड्रोन निर्माता इस सेक्टर में ही ड्रोन को लेकर आते हैं। हालांकि काम के लिहाज से अब भी इस क्षेत्र में काफी जगह है। आज ड्रोन के उपयोग को लेकर देश में ज्ञान का अभाव है। ढेर सारा काम ऐसा है जो ड्रोन के सहारे बहुत आसानी से और कम कीमत पर इंसान की जान को खतरे में डाले बिना किया जा सकता है, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता।

ड्रोन से लाभ

निजी क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल शादी की वीडियोग्राफी, वीडियो साँग, एल्बम की शूटिंग, खेतों में दवाई के छिड़काव, जमीन के सर्वे करने इत्यादि में किया जाता है।

निजी क्षेत्र के अलावा कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। बड़े सम्मेलनों, आयोजनों पर नजर रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों की हरकतों पर नजर रखने में भी इससे मदद मिलेगी। देश में फिलहाल करीब 40 हजार मानव रहित विमान हैं। इन सबको संचालित करने का काम प्रशिक्षित ड्रोन पायलट कर रहे हैं। एक ड्रोन पायलट को औसतन 30 से 90 हजार रुपए का वेतन मिलता है। इससे व्यापक स्तर पर रोजगार के द्वारा खुलेंगे। जिस प्रकार एक टैक्सी को चलाने के लिए एक चालक की जरूरत होती है उसी प्रकार करीब-करीब एक ड्रोन को संचालित करने के लिए एक ऑपरेटर की जरूतर होगी।

ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़ी कम्पनी का मामला भी काफी दिलचस्प है, जो अपनी सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन इस्तेमाल करती है। फिलहाल भारत में किसी कम्पनी को सामान डिलीवरी के लिए ड्रोन उड़ान की इजाजत नहीं है। लेकिन जिस तरह ड्रोन हमारी जीवन की दिनचर्या में शामिल होता चला जा रहा है, वो दिन दूर नहीं, जब सब्जी लाने से लेकर ऑफिश पहुँचाने तक की जिम्मेवारी ड्रोन के हिस्से में आ जाएगी। आपदा की स्थिति में ड्रोन बेहतर साबित हो सकती है। कई मौकों पर राहत एजेंसियों को काफी मदद भी मिली है। जैसे- बाढ़, भूकंप व भूस्खलन वाले क्षेत्रों में आपदाओं की भयावहता का अंदाजा लगाने में काफी सहूलियत होती है।

ड्रोन का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी इस्तेमाल खेती में हो रहा है। विश्व के कई देशों के किसान ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी से लेकर दवा का छिड़काव तक कर रहे हैं। भारत में भी कई इलाकों में ड्रोन से खेती काफी फायदेमंद साबित हो रही है।

ड्रोन का एक बड़ा इस्तेमाल कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसिंग में भी हो रहा है। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में हुई हिंसा के दौरान यूपी पुलिस ने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया था। जिससे हालात पर नजर रखने में पुलिस को काफी मदद मिली। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस ने शहर में महिला सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। तेलंगाना के करीमनगर में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में ड्रोन का व्यापक प्रयोग हो रहा है।

हाल ही में भारतीय रेल की सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे ने भी बड़ा फैसला किया है। आधारभूत संरचनाओं की देख-रेख एवं रेलवे पटरियों की निगरानी के लिए भी अब रेलवे ने बड़े पैमाने पर ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का फैसला किया है। रेलवे जल्द ही अब सभी डिविजन और जोन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करेगी। जबलपुर मुख्यालय में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। जबकि भोपाल और कोटा डिविजन में भी ड्रोन कैमरों का ट्रायल किया गया है। इसके अलावा सर्वेक्षण करने के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए और हवाई मैपिंग में भी ड्रोन का इस्तेमाल फिलहाल हो रहा है। अमेजन जैसी कंपनियों की योजना है कि ड्रोन के माध्यम से घर-घर समान डिलिवरी करने में भी इससे आसानी होगी।

ड्रोन से सैन्य इस्तेमाल में भी काफी मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी पर्सस्पेक्टिव एण्ड कैपेबिलिटिज रोडमैप, 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले 1 दशक में देश की सेना को 400 ड्रोन्स की जरूरत होगी। रक्षा मंत्रालय के इस रिपोर्ट में जो रोडमैप जारी किया गया है, उसके मुताबिक ड्रोन्स के अलावा सेना और नैवी को 30 से ज्यादा ऐसे लड़ाकू एयरक्राफ्ट की जरूरत है जिन्हें बिना पायलट के उड़ाया जा सके। रोडमैप में कहा गया है कि सैन्यबलों को कम और लंबी दूरी के लड़ाकू रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम की जरूरत है जिसमें 30 हजार फीट ऊँचाई तक उड़ान भरने की क्षमता हो। साथ ही ऐसे विमानों से 24 घंटे संपर्क साधना मुमकिन हो। इसके अलावा ड्रोन के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो समुद्र और जमीन से 20 कि.मी. की दूरी तक दुश्मनों पर निशाना साध सके।

चुनौतियाँ

- ड्रोन का आयात करने और बनाने को लेकर अभी स्पष्ट नीति नहीं है।
- माइक्रो सेग्मेंट के ड्रोन का रजिस्ट्रेशन न होने पर दिक्कत हो सकती है। अगर कभी वह नो फ्लाई जोन में जाते हैं तो इसे उड़ाने वाले की पहचान करना कठिन होगा। पुलिस से जुड़े अधिकारियों का भी मानना है कि इसका फायदा शरारती तत्व उठा सकते हैं।
- ई-कॉमर्स साइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने पर ड्रोन का ट्रैफिक कौन कंट्रोल करेगा, हवा में दो ड्रोन के टकराने, किसी पर गिर जाने जैसी स्थितियों में भी अभी स्पष्ट नीति नहीं है।
- अगर कोई ड्रोन से विडियो बनाता है तो प्राइवेसी में दखल का मामला बनता है।
- होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री पहले ही ड्रोन को लेकर काफी सख्त है।
- राज्य सरकारों से फिलहाल ड्रोन पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं हुई है, जबकि कानून-व्यवस्था और नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी उन पर ही होगी।

निष्कर्ष

आमिर खान की सुपरहिट फिल्म '3 ईडियट्स' की सफलता में भी ड्रोन का बड़ा हाथ था। उस ड्रोन को आईआईटी इंजीनियर अंकित मेहता ने तैयार किया था। वह पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न एजेंसियों को 150 से ज्यादा ड्रोन की आपूर्ति कर चुके हैं। लेकिन आज ड्रोन को उड्डयन उद्योग का नया अध्याय कहा जा रहा है, जहाँ रोजगार और नागरिक उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। अर्थात् अपनी 'Eye in the Sky' वाली छवि से कहीं आगे निकल आया है- ड्रोन।

आज ड्रोन मनुष्य की अनेकानेक जरूरतें पूरी करने में मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है अन्यथा इसके दुरूपयोग की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन एसोसिएशन ने इन्हें वायु क्षेत्र के लिए खतरा बताते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक स्तर पर सलाह दिए हैं। भारत जैसे देश के लिए ड्रोन नीति को लागू करना देश के विकास का वाहक हो सकता है। ड्रोन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देशों के लिए ड्रोन एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टैक्नोलॉजी, बायो टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधि कारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

भारत में बढ़ती भिक्षावृत्तिः विकास में बाधक

प्र. इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि 'क्षमताओं का अभाव' ही भिक्षावृत्ति व गरीबी को जन्म देता है। इस संदर्भ में भारत के नीति निर्माताओं के लिए कौन से नीतिगत संदेश भेजे जा सकते हैं?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- भिक्षावृत्ति एवं गरीबी के कारण
- भिक्षावृत्ति या गरीबी को दूर करने हेतु सुझाव
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- दिल्ली हाईकोर्ट ने 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून संविधान में प्रदत्त अधिकारों के विरुद्ध है।

भिक्षावृत्ति एवं गरीबी के प्रमुख कारण

- भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में निरपेक्ष या मानवीय गरीबी अधिक चर्चा में रहती है। निरपेक्ष या मानवीय गरीबी भिक्षावृत्ति को जन्म देने का प्रमुख कारण है। इसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा आवश्यकता को न पूरा कर पाने के साथ-साथ अपनी न्यूनतम मूलभूत अन्य आवश्यकताओं (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, जिस कारण व्यक्ति भिक्षावृत्ति जैसे कृत्यों की ओर अग्रसर होता है।
- प्रो. अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोगों में यदि 'क्षमताओं का अभाव' (Lack of Capabilities) होगा तो वे गरीबी में जिएंगे ही, जिससे उन्हें भिक्षावृत्ति जैसे गोरखधंधे में ढकेलना आसान होगा।
- संसाधनों का असमान वितरण।
- गंभीर स्वास्थ्य समस्या व अपंगता।

भिक्षावृत्ति व गरीबी को रोकने हेतु सुझाव

- सरकार को कमजोर वर्गों (बच्चे, बूढ़े, महिलाएँ, दिव्यांग आदि) के आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
- 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, 2013' के तहत सभी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार को वितरण पद्धति में लीकेज को रोकना होगा।
- सरकार को लोगों की आय बढ़ाने के साथ-साथ, उनकी क्षमताओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि यह जरूरी नहीं होता है कि आय का क्षमताओं में स्वतः परिवर्तन हो जाए।
- यह सही है कि सभी लोग अपनी इच्छानुसार भीख नहीं माँगते, बल्कि कुछ लोगों व बच्चों को आपराधिक संगठनों द्वारा जबरदस्ती इस गोरखधंधे में ढकेल दिया जाता है। इसलिए सरकार ने 'भिक्षावृत्ति निरोधक कानून' बनाया।

निष्कर्ष

- सरकार को देशव्यापी स्तर पर भिखारियों की जनगणना करके, उनको एक बायोमेट्रिक पहचान से संलग्नित करना होगा। इसके बाद उनकी क्षमताओं का विकास करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा कमजोर वर्गों के लोगों को जबरदस्ती भिक्षावृत्ति के धंधे में ढकेलने वाले आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ■

विधान परिषद की प्रासंगिकता पर निरंतर उठता विवाद

प्र. भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन होना चाहिए अथवा नहीं, इसके पक्ष तथा विपक्ष में तर्क सहित सविस्तार विश्लेषण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- विधान परिषद की संरचना
- विधान परिषद की प्रासंगिकता
- विधान परिषद के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष में तर्क
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- भारत के पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा में विधान परिषद के गठन को लेकर 2015 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने हाल ही में यह सिफारिश की है कि ओडिशा में एक विधान परिषद की स्थापना होनी चाहिए, जिस पर ओडिशा के कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।

विधान परिषद की संरचना

- संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमण डल की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान मंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधान मंडल के एक या दोनों सदन शामिल हैं। इसी अनुच्छेद के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्वि-सदनीय विधान मंडल और शेष राज्यों में एक सदनीय विधान मंडल की व्यवस्था है। जम्मू-कश्मीर राज्य

में भी विधान परिषद है परंतु इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के अपने संविधान द्वारा की गई है।

विधान परिषद की प्रासंगिकता

- विधान परिषद् को राज्य के सभी विषयों के विशेषज्ञों एवं विद्वानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के कारण ये सभी राज्यों में द्वितीय सदन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुये हैं। द्वितीय सदन विशिष्ट व्यक्तियों की वह प्रशाखा है जो दूसरों के लिये हमेशा ही अनुकरणीय है।

विधान परिषद के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष में तर्क

- **पक्ष में तर्क**
  - विधान परिषद सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करता है कि विधानसभा किसी विधेयक को बिना चर्चा के या जल्दबाजी में पास न करें क्योंकि उसे विधान परिषद से भी पास कराना होगा।
  - विधान परिषद के गठित होने से राज्य सरकार काफी जवाबदेह होती है।
- **विपक्ष में तर्क**
  - किसी व्यक्ति का विधानसभा के चुनाव में हारने के बावजूद भी, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उस व्यक्ति को विधान परिषद में ले आना, यह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है।
  - विधान परिषद के गठन से राज्यों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है।

निष्कर्ष

- विधान परिषद जिस प्रकार अपनी विधायी भूमिका का निर्वहन करता है, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये वरदान स्वरूप है। वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति में राज्यों में उच्च सदन आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है और इन्हें सुदृढ़ बनाये जाने का हर संभव प्रयास होना चाहिये। ■

पूर्वोत्तर परिषद पुनर्गठन की प्रभावशीलता

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए एनईसी (उत्तर-पूर्व परिषद) का पुनर्गठन कहाँ तक कारगर होगा? समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- एनईसी के गठन का उद्देश्य
- एनईसी गठन की आवश्यकता क्यों?
- पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने राज्यों के परस्पर मुद्दों पर चर्चा तथा उनके समाधान के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का पुनर्गठन किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्वोत्तर मामलों के मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

पृष्ठभूमि

- उत्तर पूर्व परिषद (एनईसी), आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के संयोजन से बना एक सांविधिक निकाय है।
- वर्ष 2002 के संशोधन के बाद एनईसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय नियोजन संस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

एनईसी के गठन का उद्देश्य

- इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत और समग्र क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं को तैयार करना है।
- इस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त नवीन और उचित नीतियों और रणनीतियों के निर्माण में सहायता करना है।

एनईसी के गठन की आवश्यकता क्यों?

- एनईसी राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करेगी।
- एनईसी के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कारगर संस्था बनेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकारी प्रयास

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 16 नवंबर को नई दिल्ली में 12वाँ पूर्वोत्तर व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।

चुनौतियाँ

- पूर्वोत्तर के राज्य अभी भी विकास की पहुँच से काफी दूर हैं और इसकी एक बड़ी वजह है राज्य में अपनी पकड़ जमाया हुआ उग्रवाद।
- सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से न होना।

आगे की राह

- पूर्वोत्तर राज्यों का विकास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, विभिन्न उग्रवादी गुटों से प्रभावी बातचीत के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सैनिक कार्यवाही के माध्यम से क्षेत्र में शांति बहाली का कार्य करना चाहिए।
- अगर भारत को अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' को नया आयाम देना है तो पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना ही होगा। ■

प्रधानमंत्री आवास योजनाः सबके लिये घर

प्र. 21वीं सदी में भी देश के अधिकतर लोग आवास की समस्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाएगी? विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
- उद्देश्य
- वर्तमान स्थिति
- प्रमुख चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वलसाड (गुजरात) के जुजवा गाँव में 1727 करोड़ रुपए की लागत से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत 1.15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया।

पृष्ठभूमि

- यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश में अनेक ऐसे परिवार हैं जो आज भी बेघर हैं। एक अदद घर की उम्मीद में पूरी जिंदगी खत्म हो जा रही है परंतु लोगों को खुद की छत नहीं नसीब हो रही है। ऐसे ही लोगों के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (जून, 2015) का आरंभ किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास कहा जाता था, जो देश में ग्रामीण गरीबों को मकान मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया समाज कल्याण का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- इसके तहत 2022 तक तकरीबन शहरी इलाकों में 1.2 करोड़ सस्ते घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्देश्य

"2022 तक सभी के लिए आवास" पूरे करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मार्च, 2019 तक 1 करोड़ और 2022 तक 2.95 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 51 लाख मकान को 31 मार्च, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिनमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे रह गए 2 लाख मकानों का निर्माण भी शामिल है।

वर्तमान स्थिति

- इस साल अभी तक मंजूर हुए मकानों में से 31 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष 50 प्रतिशत पूरे हो गए थे।
- 1 अप्रैल, 2016 के बाद से लगभग तीन वर्ष में 27 लाख मकान पूरे हो चुके हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस वित्त वर्ष के अंत तक 1 करोड़ मकान का लक्ष्य पूरा होने का विश्वास है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- एकल खिड़की सिस्टम का अभाव।
- नियमित मॉनिटरिंग का अभाव।
- कर्मचारियों का दक्ष न होना।
- जमीन अधिग्रहण की समस्या इत्यादि।

आगे की राह

- सरकार की नीतियों में स्पष्टता।
- लोगों को जागरूक करना।
- नियमित मॉनिटरिंग करना इत्यादि। ■

आरसीईपी और भारतः एक अवलोकन

प्र. भारत के आरसीईपी में शामिल होने के परिप्रेक्ष्य में भारत को मुक्त व्यापार नीति से होने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- भारत का पक्ष
- प्रभाव
- आरसीईपी में भारत का शामिल होना
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में 30-31 अगस्त को आरसीईपी के व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत को आरसीईपी के मुख्य एजेंडे मुक्त व्यापार समझौते में सहमति हस्ताक्षर पर निर्णय लेना था। इस संदर्भ में ही भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक 4 मंत्रियों की समिति का गठन किया गया जो यह निर्णय करेगी कि भारत आरसीईपी में शामिल हो अथवा नहीं।

पृष्ठभूमि

- चूंकि आरसीईपी के 16 सदस्य देशों का गठन आपस में मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किया गया था लेकिन कई स्तर पर वार्ताओं के बावजूद आरसीईपी किसी निष्कर्ष को नहीं प्राप्त कर पाया। इस कारण यह अंतिम सम्मेलन है जिसमें सभी देशों को मुक्त व्यापार समझौते के पक्ष या विपक्ष में कोई तार्किक हल देना होगा।

भारत का पक्ष

- भारत आरसीईपी में कुछ बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराया है। भारत पूर्णतः सभी देशों के लिए एक समान मुक्त व्यापार नीति का विरोध करता है। दूसरा भारत सभी क्षेत्रों में विकासशील स्थिति में है और मुक्त प्रतियोगिता उसके हित में नहीं है। इसके अलावा भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा चल रहा है और भारत इसके लिए 10 वर्ष का समय मांग रहा है।

प्रभाव

- अगर भारत करों में 100% कटौती करता है तो सभी देशों को फायदा होगा और भारत का व्यापार संतुलन उन देशों से कभी सही नहीं हो पाएगा जहाँ भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है। दूसरा इससे सरकार के राजस्व में कमी आएगी साथ ही पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ेंगी।

आरसीईपी में भारत का शामिल होना

- चूंकि भारत किसी भी एशियाई क्षेत्रीय संगठन में शामिल नहीं है जैसे टीपीपी और ऐपेक इत्यादि। इस कारण भारत के लिए यह लाभ का अवसर है कि भारत इसमें शामिल हो। दूसरा भारत आरसीईपी में शामिल नहीं होगा तो चीन का प्रभुत्व इस क्षेत्र में बढ़ जाएगा।

निष्कर्ष

- सभी सदस्य देशों के आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसम्मतिपूर्ण निष्कर्ष को अपनाना चाहिए। ■

वेनेजुएला का आर्थिक संकटः विश्व के लिए एक सबक

प्र. वेनेजुएला के आर्थिक संकट की स्थिति में पहुँचने के कारणों की चर्चा करते हुए उसके उपयुक्त समाधान सुझाइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- आर्थिक संकट के कारण
- प्रभाव
- समाधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- वेनेजुएला कभी एक बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश हुआ करता था परन्तु आज यह अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुद्रास्फीति की स्थिति भयंकर हो चुकी है, अधिक संख्या में लोग देश को छोड़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों का अभाव है, अपराध बढ़ गये हैं और सर्वत्र भयानक दरिद्रता है।

पृष्ठभूमि

- 20वीं शताब्दी की शुरूआत में वेनेजुएला में कच्चे तेल की खोज की गई और आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है तथा यह तेल के दुनिया में अग्रणी निर्यातकों में से एक है। 1980 के दशक के तेल संकट के कारण देश को बाहरी ऋण संकट और दीर्घकालिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके कारण 1996 में मुद्रास्फीति 100% पर पहुँच गई। वर्तमान में एक अनुमान के मुताबिक साल के अंत तक मुद्रास्फीति दर 1,000,000% हो गई

आर्थिक संकट के कारण

- विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के पीछे मुख्य कारण खनिज तेल के मूल्य में 2014 से लगातार हो रही गिरावट है। इस देश के पास खनिज तेल का बहुत बड़ा भण्डार है और इसके राजस्व का 96% तेल के निर्यात से ही आता था। लेकिन 2014 में तेलों के दाम आश्चर्यजनक रूप से गिर गये इससे इस देश के पास विदेशी मुद्रा बहुत घट गयी।

प्रभाव

- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वेनेजुएला का आयात 50% घट गया। आयातित वस्तुओं की कमी के कारण देश में कालाबाजारी चरम पर है। देश के लगभग 90% लोग गरीबी में रह रहे हैं और भूखे रहने को विवश हैं। देश के आर्थिक संकट से क्रुद्ध होकर कई देशवासी देश को छोड़ने लगे हैं। 2015 के बाद 16 लाख लोग देश के बाहर जा चुके हैं, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का कहना है। उत्प्रवासन की यह दर बढ़ती ही जा रही है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र चेतावनी भी दे चुका है।

समाधान

- वेनेजुएला अपनी मुद्रा का 95 फीसदी तक अवमूल्यन करने जा रहा है। इसके अलावा वेनेजुएला की सरकार न्यूनतम मजदूरी में 3000 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा वेनेजुएला सरकार द्वारा रिकवरी पैकेज के तहत कई कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि- टैक्स बढ़ाना, कुछ ड्राइवरों के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना और रिब्रैंडेड करेंसी लाना। वेनेजुएला की नई करेंसी 'सॉवरेन बोलिवर' में अब पहले की करेंसी बोलिवर की तुलना में 5 जीरो कम हो जाएंगे।

निष्कर्ष

- वेनेजुएला का आर्थिक संकट अब इस अवस्था में पहुँच गया है जहाँ यह संकट सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित न रहकर वैश्विक समस्या बन गया है। अतः विश्व के सभी देशों को वेनेजुएला के आर्थिक संकट से उबारने में मदद करनी चाहिए जिससे कि वेनेजुएला आर्थिक वैश्विक रूप से सशक्त हो सके। ■

प्रथम ड्रोन नीतिः वर्तमान भारत की आवश्यकता

प्र. 'प्रथम ड्रोन नीति' से भारत के विकास की रफ्तार को किस प्रकार गति मिलेगी? साथ ही उनके दुष्प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ड्रोन क्या है?
- ड्रोन नीति क्या है?
- वर्तमान स्थिति
- भारत में ड्रोन
- चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ड्रोन या दूरस्थ रूप से संचालित विमान के वाणिज्यिक उपयोग हेतु 'ड्रोन नीति' से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ड्रोन क्या है?

- यह एक मानव रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicle) है, इसलिए इसे ड्रोन कहा जाता है।

ड्रोन नीति क्या है?

- कृषि, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे कार्यों के लिए ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नए नियम को तय किया गया है।

वर्तमान स्थिति

- ड्रोन आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। सर्वे से लेकर वेयर हाउस मैनेजमेंट तथा सीमा की निगरानी और बम गिराने में इसका उपयोग हो रहा है।

भारत में ड्रोन

- भारत के लिए ड्रोन और ड्रोन का उपयोग दोनों ही शुरूआती अवस्था में है। यहाँ ड्रोन बनाने वाली ज्यादातर कंपनियाँ लगभग 5 साल पुरानी है और सभी में एक बात समान है कि उनके पास ज्यादातर काम सरकारी एजेंसियों का है।

चुनौतियाँ

- माइक्रो सेग्मेंट के ड्रोन का पंजीकरण न होने पर दिक्कत हो सकती है। यदि कभी वह नो फ्लाई जोन में जाता है, तो इसे उड़ाने वालों की पहचान करने में कठिनाई हो सकती है इत्यादि।

निष्कर्ष

- आज ड्रोन मनुष्य की अनेकानेक जरूरतें पूरी करने में मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है अन्यथा इसके दुरूपयोग की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। ■

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. भारत ने सिंधु जलसंधि पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज किया

भारत ने चेनाब नदी पर अपनी दो पनबिजली परियोजनाओं के बारे में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। सिंधु जलसंधि पर पाकिस्तान के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बातचीत पूरी होने पर यह बात कही गई। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली आधिकारिक बातचीत थी। बातचीत पूरी होने के बाद, पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई ब्योरा और कोई बयान नहीं दिए जाएंगे।

बैठक के मुख्य बिंदु

- भारत ने चेनाब नदी पर 1000 मेगावाट की पाकल दुल बांध और 48 मेगावाट लोअर कलनाल पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण पर पाकिस्तान की आपत्तियां खारिज कर दीं।
- भारत ने पाकिस्तान को आमंत्रित किया है कि वह अपने विशेषज्ञों को अगले महीने पाकल दुल बांध और लोअर कलनाल पनबिजली परियोजनाओं के स्थल पर भेजे ताकि उसकी आशंकाएं दूर की जा सकें।
- पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकल दुल बांध की ऊंचाई पांच मीटर कम करने के लिए कहा लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उसे मानने से इन्कार कर दिया।
- लोअर कलनाल प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने कुछ तकनीक आधारित चिंताएं व्यक्त की थीं।

सिंधु जल संधि क्या है?

- सिंधु जल संधि, सिंधु एवं इसके सहायक नदियों के जल के अधिकतम उपयोग के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच की गई संधि है।
- 19 सितंबर, 1960 को कराची (पाकिस्तान) में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक (अब विश्व बैंक) की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस संधि के अंतर्गत तीन पूर्वी नदियों (रावी, व्यास, सतलुज और उनकी सहायक नदियाँ) और तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब और उनकी सहायक नदियां) के जल वितरण और हिस्सेदारी की व्यवस्था की गई है।

पाकिस्तान की आपत्ति

- भारत चेनाब पर पनबिजली परियोजना के लिए दो बांध बना रहा है– 48 मेगावाट क्षमता की लोअर कालनाई और 1,500 मेगावाट क्षमता का पाकल दुल। पाकिस्तान पाकल दुल बांध को लेकर चिंतित है और आरोप लगा रहा है कि यह सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है।
- पाकिस्तान के अनुसार पाकल दुल बांध की ऊंचाई 1,708 मीटर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान में आने वाले पानी की मात्रा कम हो सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि इससे भारत अपनी इच्छासनुसार पानी रोकने या छोड़ने में सक्षम हो जाएगा।

सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत अगर चेनाब पर बांध बनाने की योजना बनाता है, तो उसे काम शुरू करने से करीब छह महीने पहले पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ■

2. एचआरडी मंत्रालय ने 'अटल रैंकिंग' आरंभ की

उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने 30 अगस्त 2018 को नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार प्रकोष्ठ एवं संस्थानों की अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) को लॉन्च किया।

नवाचार प्रकोष्ठ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है और उसे एआईसीटीई परिसर में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन देना है।

उद्देश्य

इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में अवगत करके उन्हें प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसके परिणामस्वरूप उच्च शैक्षिक संस्थानों में नवाचार क्लबों के नेटवर्क के माध्यम से छात्र अपने प्रारंभिक वर्षों में नवोन्मेष गतिविधियों को बढ़ावा दे सकेंगे।

अटल रैंकिंग क्यों?

- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें भारत में नवाचार संस्कृति का सृजन करना होगा और इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे अपने परिसरों में नवाचार क्लब बनाएं।
- उनके कथनानुसार नवाचार के बिना कोई भी देश सतत विकास और समृद्धि हासिल नहीं कर सकता है।

- 21वीं शताब्दी नवाचार की शताब्दी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2010-2020 के दशक को 'नवाचार दशक' कहा है।
- भारत विश्व मंच पर नवाचार के संदर्भ में पांच वर्ष पहले 86वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 57वें स्थान पर पहुंच गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवाचार प्रकोष्ठ

नवाचार प्रकोष्ठ मंत्रालय की पहल है जिसे एआईसीटीई ने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन देना है। नवाचार प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्यों में युवा छात्रों को प्रोत्साहित, प्रेरित और शिक्षित करना है। इसके तहत युवा छात्रों को नए विचारों से परिचित कराया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार क्लबों के नेटवर्क के जरिए उनमें नवाचार के प्रति रुझान पैदा किया जाएगा। ■

3. नकद रहित अर्थव्यवस्था

भारतीय रिजर्व बैंक द्वितीय वार्षिक प्रतिवदेन में बताया है कि नोटबंदी के बाद नकद लेन-देन में वृद्धि हुई है। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि नोटबंदी के 2 वर्षों के पश्चात् चलन से बाहर हो गये 99.3% नोट बैंकों में वापस लौट गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रचलित बैंक नोटों का मूल्य वर्ष भर में 37.7% बढ़कर मार्च 2018 के अंत तक 18,037 लाख करोड़ रु. हो गया है।

नकद रहित अर्थव्यवस्था क्या है?

नकद रहित अर्थव्यवस्था वह स्थिति है जिसमें एक अर्थव्यवस्था के अंदर नकद का प्रवाह नहीं होता है और सभी लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यमों से होते हैं, जैसे- डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग और पेमेंट भुगतान की अन्य प्रणालियाँ IMPS, NEFT, RTGS आदि।

नकद रहित अर्थव्यवस्था के लाभ

- इससे कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा होती है क्योंकि सम्बन्धित राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे चली जाती है।
- इससे लेन-देन की लागत कम हो जाती है।
- नकद रहित लेन-देन से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- इससे ई-कॉमर्स की वृद्धि में सहायता मिलती है।
- इससे काले धन को सफेद बनाने की कोशिशों को धक्का पहुँचता है।
- इससे कर अनुपालन में वृद्धि होती है जो अंततोगत्वा सभी उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद होगा।

जनसामान्य को मिलने वाले लाभ

- ATM के बाहर कतार लगाने की आवश्यकता नहीं।
- छुट्टी में भी पैसे की लेन-देन।
- चेक के क्रेडिट होने की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं।
- बटुए में नकद नोट लेकर चलने का जोखिम नहीं। ■

4. बीआईएस का नया मानक

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) अब उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को मापने के लिए नए मानक तैयार करने की योजना बना रहा है। जिन क्षेत्रों की सेवाओं के नए मानक तैयार होंगे उनमें दूरसंचार, विमानन, ई-वाणिज्यिक तथा स्वास्थ्यगत देखभाल सम्मिलित हैं। इसके लिये ब्यूरो ने हाल ही में औद्योगिक निकायों की एक बैठक बुलाई है।

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसमें विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक बनने की अपार क्षमता है। यदि मानक निर्धारित होंगे तो इसमें और भी वृद्धि होगी।

पिछले दिनों एक ऑनलाइन सर्वेक्षण हुआ था जिसमें पाया गया था कि देश में उपभोक्ता सेवा से सम्बन्धित मानकों के परिभाषित नहीं होने कारण अधिकांश उपभोक्ता विक्रयोपरांत सेवओं से संतुष्ट नहीं है। सर्वेक्षण से पता चला था कि 43% उपभोक्ता मानते हैं कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर निर्माता सबसे खराब सेवा देते हैं। इनके बाद ह्वाइट गुड फर्मों (38%) और ऑटोमोबाइल कम्पनियों (11%) का नंबर आता है। 93% उपभोक्ताओं का यह विचार था कि किसी भी शिकायत का उत्तर 72% घंटों के अंदर-अंदर मिल जाना चाहिए। कई उपभोक्ताओं को यह भी शिकायत थी कि कई कंपनियों के कस्टमर सर्विस फोन नंबर काम नहीं करते हैं।

BIS के बारे में

- BIS भारत सरकार द्वारा Bureau of Indian Standards Act, 1986 के तहत कार्यादेश के माध्यम से गठित एक निकाय है।
- पहले इस निकाय का नाम भारतीय मानक संस्थान (ISI) था।
- यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है।
- BIS का पदेन अध्यक्ष (ex-officio) उक्त मंत्रालय का मंत्री होता है।
- इस निकाय में अन्य 25 सदस्य होते हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों से लिए जाते हैं।
- भारतीय मानक ब्यूरो भारत के लिए विश्व व्यापार संगठन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड (WTO-TBT) केंद्र के रूप में कार्य करता है।■

5. पर्यावरण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय आरईडीडी+ रणनीति जारी की

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 'राष्ट्रीय आरईडीडी+ रणनीति' जारी किया। वनों की कटाई और वन गिरावट से उत्सर्जन को कम करना, वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन, और विकासशील देशों में कार्बन स्टॉक में वृद्धि (सामूहिक रूप से REDD+ के रूप में जाना जाता है) का उद्देश्य वन संरक्षण को प्रोत्साहित करके जलवायु परिवर्तन में हो रहे बदलाव को कम करना है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन शमन में जंगलों की भूमिका को भी मान्यता दी गई है और पार्टी देशों को REDD+ को लागू करने और समर्थन करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

भारत की आरईडीडी+ रणनीति क्या है?

- आरईडीडी+ गतिविधियाँ स्थानीय समुदायों की स्थायी आजीविका और जैव विविधता के संरक्षण में भी मददगार होंगी।
- आरईडीडी+ रणनीति देश को अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगी और वन आश्रित आबादी की आजीविका में भी योगदान देगी।
- राज्य स्तर पर आरईडीडी+ कार्यों को राज्य के मुख्य संरक्षक (PCCF) और वन बल (HOFF) के नेतृत्व में समिति द्वारा समन्वयित किया जाएगा।
- सरल शब्दों में, आरईडीडी+ का मतलब है "वनों की कटाई और वन गिरावट से उत्सर्जन को कम करना", वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन, और विकासशील देशों में वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि।

उद्देश्य

- आरईडीडी+ का उद्देश्य वन संरक्षण को प्रोत्साहित करके जलवायु परिवर्तन शमन प्राप्त करना है।
- रणनीति वनों की कटाई और वन गिरावट के कारकों को संबोधित करना और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि और आरईडीडी+ कार्यों के माध्यम से जंगलों के सतत प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप विकसित करना चाहता है।

आरईडीडी+ रणनीति पर हर्षवर्धन ने भारत की राष्ट्रीय रणनीति के प्रेषण के अवसर पर बोलते हुए कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। पेरिस समझौते में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में, भारत ने संवाद किया है कि यह अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कब्जा करेगा। भारत की राष्ट्रीय आरईडीडी+ रणनीति पेरिस समझौते के प्रति भारत की वचनबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण है। UNFCCC को भारत की पहली द्वि वार्षिक अद्यतन रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत के जंगलों में भारत के कुल GHG उत्सर्जन का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रकार, भारत में वानिकी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन शमन के लिए सकारात्मक योगदान दे रहा है।

उन्होंने आगे जोर दिया कि स्वस्थ पर्यावरण, स्थानीय समुदायों की सतत आजीविका और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जंगल की सुरक्षा आवश्यक है। आरईडीडी+ भारत जैसे विकासशील देश में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है जहां स्थानीय समुदायों और आदिवासी समुदायों की आजीविका के लिए वनों पर उच्च निर्भरता है। रणनीति स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का नेतृत्व करने के लिए सामुदायिक फॉरेस्टर्स के रूप में युवा कैडरों के सशक्तिकरण का समर्थन करेगी। वानिकी से संबंधित विशेष कौशल प्रदान करने के लिए ग्रीन कौशल विकास कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के काम की भी सराहना की और इस राष्ट्रीय आरईडीडी+ रणनीति तैयार करने में उनके योगदान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

अधिकारियों ने बताया कि रणनीति मौजूदा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित है जैसे जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, ग्रीन इंडिया मिशन और भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) के साथ UNFCCC को अद्यतन किया गया है। अपनी सही ईमानदारी से लागू होने वाली रणनीति वनों की कटाई, वन गिरावट के कारकों को संबोधित करेगी और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि के लिए एक रोड मैप विकसित करेगी तथा आरईडीडी+ कार्यों के माध्यम से जंगलों के सतत प्रबंधन को प्राप्त करेगी। राष्ट्रीय आरईडीडी+ रणनीति जल्द ही UNFCCC को सूचित की जाएगी। ■

6. चीता पुनरूत्पादन परियोजना

मध्य प्रदेश राज्य के नौरदेही अभ्यारण्य में चीतों के प्रजनन करने की योजना को पुनर्जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को पत्र लिखा है। 2009 में लाई गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धन की कमी की वजह से रोक दिया गया था।

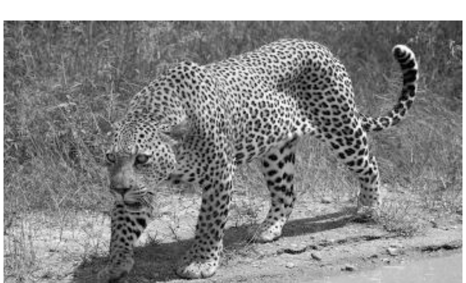

तथ्य

चीता, एसीनोनीक्स जुबेटस, बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से सबसे पुरानी है। चीता विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी है। तेज गति और निपुणता के साथ, चीता एक उत्कृष्ट शिकारी होने के लिए जाना जाता है।

1947 में छत्तीसगढ़ में अंतिम रूप से देखे गये चीते की मौत हो गई। 1952 में भारत में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया।

भारत में चीता पुनरूत्पादन कार्यक्रम

देहरादुन में भारत के वन्यजीव संस्थान ने छह माह पहले 260 करोड़ रुपये की चीता पुनः प्रजनन परियोजना तैयार की थी। अनुमान लगाया गया था कि नौरदेही में चीता के लिए 150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक चीता अभयारण्य बनाने के लिए 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

राज्य में नौरदेही चीता के लिए उपयुक्त क्षेत्र पाया गया था क्योंकि तेज दौड़ने वाले इस जानवर के लिए यह जंगल बहुत घना नहीं है। इसके

अलावा, अभयारण्य में चीता के लिए शिकार आधार भी बहुतायत में है। पूर्व कार्य योजना के मुताबिक अफ्रीका के नामीबिया से नौरादेही को करीब 20 चीता का आयात किया जाना था। नामीबिया चीता संरक्षण कोष ने तब भारत को फेलिन दान करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी।

विलुप्त होने के कारणः मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास की कमी और शिकार की हानि तथा अवैध तस्करी जैसी समस्याएँ ने उनकी संख्या को कम कर दिया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव आबादी के आगमन ने इन समस्याओं को और भी खराब कर दिया है। वन्यजीवन के लिए कम उपलब्ध भूमि के साथ, जिन प्रजातियों को चीता की तरह विशाल घर की आवश्यकता होती है उन्हें अन्य जानवरों के साथ रखा जाता है, जो उनके लिए एक जोखिम है।

चीता के पुनरूत्पादन से भारत के खुले जंगलों और घास के मैदान जैसे पारिस्थितिक तंत्र को हरा-भरा करने में मदद मिलेगी, चीता के होने से अधिक जैव विविधता होगी, और जैव विविधता स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का प्रतीक है। भारत पशुधन की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। चीता के पुनर्वास से भारत की प्राकृतिक विरासत को बहाल करने में मदद मिलेगी। ■

7. भारत सरकार के भूविज्ञान मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन

भारत सरकार के भूविज्ञान मंत्रालय 79 करोड़ रुपए की एक परियोजना प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके माध्यम से केरल में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। यह प्रस्ताव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific Industrial Reserach-CSIR) के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान (National Institute of Science Communication and Information Resources-NISCAIR) की ओर से आया है।

परियोजना के मुख्य तत्व

इस परियोजना के अंतर्गत जलवायवीय तत्वों के लक्षणों, उनके फैलाव के ढंग और एल नीनो चक्रवात आदि घटनाओं से उनके सम्बन्धों का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही जलवायु में परिवर्तन से लोगों की आजीविका एवं विकास की प्रक्रिया पर होने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा।

तीन वर्षों तक चलने वाली यह परियोजना इन गतिविधियों पर होने वाले जलवायु परिवर्तन विषयक प्रभावों के अध्ययन पर विशेष रूप से बल देगी- जिनमें कृषि (फसलों और मसाले), मछली मारना (समुद्री और नदी/तालाब में), उद्योग-धंधे, स्वास्थ्य, परिवहन, भूतल परिवहन, जलमार्ग परिवहन, पर्यटन, जैव विविधता, वनरोपण एवं भूस्खलन शामिल हैं। परियोजना में देशभर के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान सम्मिलित होंगे।

परियोजना का कार्य 25 भागों में बाँटा जाएगा जिससे कि केरल की जलवायु का कोई भी पहलू अछूता न बचे। विशेषज्ञ जल संसाधनों की सतह और भूगर्भजल की मात्रा तथा गुणवत्ता में होने वाले छोटे-बड़े बदलावों का अध्ययन करेंगे। साथ ही केरल के लघु द्वीपों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य पर नजर रखी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि CSIR द्वारा अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वीपों और समुद्र तटीय जैवतंत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन, adaptation कार्यक्रमों के विकास के लिए CSIR-NISCAIR को नोडल संस्थान बनाया गया है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. नेपाल में पहली सार्क कृषि सहकारिता व्यापारिक फोरम का आयोजन

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की पहली कृषि सहकारिता व्यापारिक फोरम का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। इस तीन दिवसीय फोरम की थीम "पारिवारिक किसानों को संगठित व मजबूत बनाना" है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई में धारणीय विकास 1 और 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

इस फोरम को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (FAO) और एशियाई किसान संगठन (AFA) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास फण्ड के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। इस फोरम का उद्देश्य सार्क सदस्य देशों तथा अन्य देशों के सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को एकत्रित करना है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

सार्क दक्षिण एशियाई देशों का अंतरसरकारी व भू-राजनीतिक संगठन है। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यह समूह कुल विश्व के 3% क्षेत्रफल, 21% जनसंख्या तथा 3.8% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर, 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गयी थी। इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह समूह आर्थिक व क्षेत्रीय सहयोग पर बल देता है। ■

2. नासा का लेजर उपग्रह ICE SAT-2

हाल ही में नासा ने घोषणा किया है कि वह ध्रुवीय बर्फ की ऊँचाईयों में तेज गति से हो रहे परिवर्तन की जाँच करने के लिए एक लेजर-सशस्त्र उपग्रह (ICE Sat-2) लाँच करेगा। स्मरणीय है कि वर्तमान समय में अकेले ग्रीनलैण्ड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से समुद्री जलस्तर में एक मिमी. की बढ़ोत्तरी हुई है और यह गति लगातार बढ़ रही है। यह उपग्रह 15 सितम्बर को कैलिफोर्निया में बेडनबर्ग वायु सेना बेस से लाँच होगा। ICE Sat-2 ग्रीनलैण्ड और अंटार्कटिका पर 3 सेमी. क्षेत्रफल के आकार का पिघलते बर्फ की तस्वीर भेजेगा जिससे कि वैज्ञानिक इस पिघलते बर्फ की गति और कारणों का पता लगा सकें।

आईसीईएसएटी-2 की नई अवलोकन प्रौद्योगिकियाँ हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाएंगी कि कैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ शीट समुद्र स्तर की वृद्धि में योगदान देती है, आईसीईएसएटी-2 ध्रुवीय बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन की निगरानी के नासा के 15 साल के रिकॉर्ड में सुधार करेगा। यह 2003 में पहली आईसीईएसएटी मिशन के साथ शुरू हुआ और 2009 में नासा के ऑपरेशन आइसब्रिज के साथ जारी रहा, जो एक वायुयान अनुसंधान अभियान था जिसने परिवर्तन की तेज दर का रिकार्ड रखा।

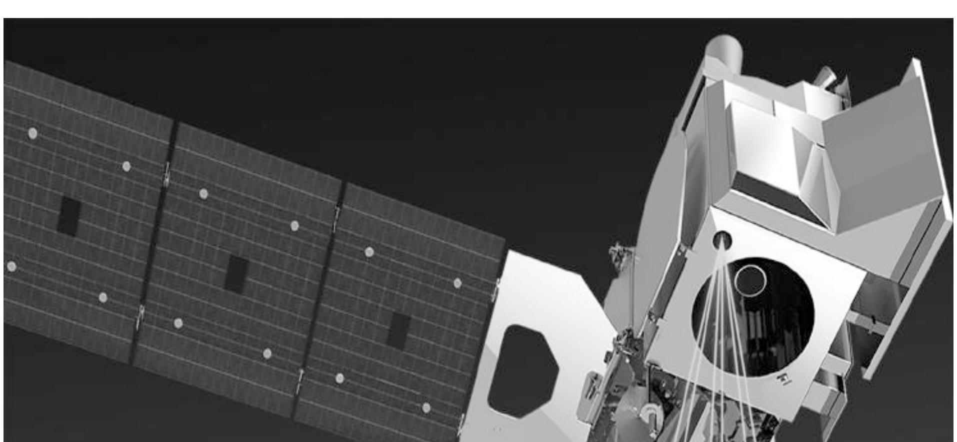

आईसीईएसएटी-2 के एडवांस्ड टॉपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम, (एटीएलएएस) समय-समय पर ऊंचाई को मापता है जिससे कि यह पता चल सके कि अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की यात्रा करने के लिए प्रकाश फोटोन को कितना समय लगता है। आईसीईएसएटी-2 के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉग मैकलेनन ने कहा, "एटीएलएएस में हमें शोध करने के लिए एवं वैज्ञानिकों द्वारा आवश्यक माप प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की आवश्यकता है।"

एटीएलएएस हर सेकेंड में 10,000 बार प्रकाश उत्पन्न करेगा और हरी रोशनी के छह बीम में जमीन पर सैकड़ों ट्रिलियन फोटोन भेज देगा। बीम से लौटने वाले कई फोटॉनों के साथ, आईसीईएसएटी-2 को अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बर्फ की सतह का अधिक विस्तृत दृश्य मिलेगा। ध्रुवों से परे, आईसीईएसएटी-2 वनों सहित भूमि और भूमि की सतहों की ऊंचाई की भी माप देगा। ■

3. चीन में बदलेगा कानून, ज्यादा बच्चे पैदा करने की मिलेगी अनुमति

बीजिंग: दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर दशकों पुरानी रोक से छूट देकर उम्रदराज हो रही आबादी की परेशानी से निपटने के लिए चीन के द्वारा उठाये जा रहे कदमों में अप्रत्याशित बाधा आ रही है क्योंकि कई माता-पिता की अब और बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह अपनी नीति वापस लेगी जिसमें कड़े जुर्माने और कई बार गर्भपात तथा नसबंदी कराने के लिए मजबूर करके प्रत्येक परिवार में बच्चों की संख्या पर सीमा तय की गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ने 1979 में एक बच्चे की नीति पेश की थी और 2016 में बच्चों की संख्या दो तक कर दी थी क्योंकि देश की आबादी में 1.4 अरब लोग बुजुर्ग थे। विशेषज्ञों ने कहा कि दंपति अब एक बच्चा पैदा करने में भी देरी कर रहे हैं क्योंकि वे अपना कैरियर बनाने जैसे अन्य लक्ष्यों में ज्यादा समय दे रहे हैं।

चीन में बच्चे की परवरिश करने में आने वाला खर्चा भी लोगों को और बच्चे पैदा करने से रोक रहा है। उत्तर पूर्वी शहर डालियन में एक मां ने कहा, "कई लोग दूसरा बच्चा चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या वित्तीय बोझ है।" वह दूसरा और यहाँ तक कि तीसरा बच्चा चाहती हैं लेकिन खर्च से हिचक रही हैं। चीन के आबादी एवं विकास शोध केंद्र के लियू होंग्यान ने कहा, "परिवार नियोजन नीति को रद्द करने का मतलब होगा कि दंपतियों और परिवारों के पास यह अधिकार होगा कि कितने बच्चे चाहिए।" आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि देश की जनसांख्यिकीय स्थिति में बदलावों के कारण मौजूदा कानून से परिवार के आकार को बाहर रखा गया है। अर्थशास्त्रियों को आशंका है कि देश अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक, 60 से अधिक की उम्र की आबादी का अनुपात 2015 में 15 फीसदी से बढ़कर 36.5 फीसदी तक पहुँच जाएगा। ■

4. नासा के स्पिट्जर दूरबीन ने अंतरिक्ष में 15 साल पूरे किए

नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप (दूरबीन) को अंतरिक्ष में 15 साल पूरे हो गए। इस मिशन की अवधि शुरूआत में 2.5 वर्ष रखी गई थी। इस टेलीस्कोप ने TRAPPIST-1 तारे की परिक्रमा कर रहे सात ग्रहों की खोज के साथ-साथ शुरूआत में बनी आकाशगंगाओं के अध्ययन में भी विशेष योगदान दिया है। नासा ने यह प्रोग्राम अंतरिक्ष में मौजूद पराबैंगनी किरणें, एक्स रे, गामा रे आदि की वेवलेंथ व ऊर्जा की विभिन्न टेक्नोलॉजी की जाँच के लिए लांच किया था। इस टेलीस्कोप की मदद से सौरमंडल के साथ ही अन्य तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में कई रोचक जानकारियाँ मिलीं।

सर्वाधिक आयु वाला दूरबीन

यह अमेरिका के ग्रेट आब्जर्वेटरी कार्यक्रम में शामिल सर्वाधिक आयु वाला दूरबीन है। ग्रेट आब्जर्वेटरी में चार बड़े दूरबीन हैं, जिनमें स्पिट्जर के अलावा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, कॉप्टन गामा रे आब्जर्वेटरी (सीजीआरओ) और चंद्र एक्स-रे आब्जर्वेटरी शामिल हैं।

15 साल के मिशन के दौरान स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने कई आकाशगंगाओं के बारे में डाटा एकत्र किया। शनि ग्रह का नया रिंग खोजने के साथ ही यह नए तारों और ब्लैक होल से भी संबंधित जानकारी भी जुटा रहा है। सौरमंडल के बाहर स्थित ग्रहों की खोज में भी इस टेलीस्कोप की अहम भूमिका रही।

स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप

- स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप (दूरबीन) एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। यह ब्रह्माण्ड की विभिन्न वस्तुओं की अवरक्त प्रकाश में जाँच करता है। इसे वर्ष 2003 में रॉकेट के जरिये अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा ने अंतरिक्ष में पहुँचाकर पृथ्वी के इर्द-गिर्द कक्षा (ऑरबिट) में डाला था। इसके चलते रहने के लिए अति ठण्ढ़ी द्रव्य हिलियम की आवश्यकता थी जो 15 मई, 2009 को खत्म हो गयी। हालांकि यह अभी खगोलीय वस्तुओं की तस्वीरें उतारने में सक्षम है। ■

5. तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन-2018

यह सम्मेलन वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित हो रहा है। इस वर्ष सम्मेलन में बेहतर सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और प्रशासनिक स्थापत्य पर बल दिया जायेगा। इस सम्मेलन के माध्यम से हिंद महासागर के आस-पास के देशों को एक-दूसरे के निकट आने तथा क्षेत्र के आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलेगा।

हिंद महासागर सम्मेलन क्या है?

हिंद महासागर सम्मेलन का सूत्रपात भारतीय फाउन्डेशन ने सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के अपने भागीदारों के साथ किया था। यह एक वार्षिक आयोजन है जिसमें क्षेत्र के सभी देशों के मंत्री, अग्रणी विचारक, विद्वान, कूटनीतिज्ञ, नौकरशाह आदि शामिल होते हैं।

2016 और 2017 में यह सम्मेलन क्रमशः सिंगापुर और श्रीलंका में आयोजित हुआ था। यह दोनों सम्मेलन भारत के विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में सम्पन्न हुए थे और इनमें 35 से अधिक देशों ने भाग लिया था। इन सम्मेलनों की रिपोर्टिंग विश्व-भर की मीडिया ने की थी। ■

6. एशियाई निर्वाचन हितधारक मंच

हाल ही में एशियाई क्षेत्र में चुनावों और लोकतंत्र की स्थिति पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका में एशियाई निर्वाचन हितधारक मंच (Asian Electoral Stakeholder Forum-AESF) की चौथी (IV) बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से श्रीलंका निर्वाचन आयोग तथा एशियाई मुक्त निर्वाचन नेटवर्क के द्वारा किया गया था।

मुख्य तथ्य

- AESF की यह बैठक पहली बार दक्षिण एशिया में हुई।
- इसकी Theme थी- "निर्वाचन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी बढ़ाने के संदर्भ में प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उसका बचाव करना"।

AESF-IV के मुख्य उद्देश्य

- वर्तमान निर्वाचन सम्बन्धी चुनौतियों एवं इस क्षेत्र में इसके विषय में अपनाई जाने वाली उत्कृष्ट प्रथाओं को समझने एवं उनके विषय में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए निर्वाचन प्रबंधन निकायों, सिविल सोसाइटी संगठनों और अन्य हितधारकों को मंच प्रदान करना।
- एशिया में निर्वाचित प्रजातंत्र को बढ़ावा देने और उसका बचाव करने के लिए घोषित कोलम्बो रणनीति का विकास एवं वित्तपोषण करना। ■

7. स्वीडन की नारीवादी विदेश नीति

हाल ही में स्वीडन ने अधिकारवादी समूहों एवं विदेशी सरकारों के लिए अपनी नारीवादी विदेशी नीति के एक हस्तक (handbook) का विमोचन किया है। इस हस्तक में स्वीडन के द्वारा नारी अधिकारों को विश्व-भर में बढ़ावा देने की दिशा में किये गये कार्यों के क्रम में प्राप्त अनुभवों को दर्शाया गया है।

हस्तक के मुख्य तत्व

- इस हस्तक के पीछे चार वर्षों का श्रम है जिसमें स्वीडन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में लैंगिक समानता को स्थापित करने का काम किया है।
- स्वीडन ने अपनी नारीवादी विदेशनीति इसलिए आरम्भ की थी कि उसे लगता था विश्वभर में आज भी असंख्य नारी और बच्चियों के दैनिक जीवन में भेदभाव और विधिवत् दमन होता है।
- हस्तक के लक्ष्य हैं- आर्थिक मुक्ति को बढ़ावा देना, यौन हिंसा का विरोध करना और नारियों की राजनैतिक भागीदारी में सुधार लाना।

हस्तक में वर्णित कुछ मुख्य परियोजनाएँ

- युद्धग्रस्त और युद्ध से हाल ही में मुक्त हुए पाँच देशों के लिए कार्य योजना, यथा- अफगानिस्तान, कोलंबिया, कांगो, लाइबेरिया और फिलिस्तीनी क्षेत्र।
- नारी अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।
- स्वीडन ने कांगो में नारीवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम किये थे, जैसे- समाज में पुरूषों की भूमिका के विषय में सोशल मीडिया में चर्चा को बढ़ावा देना। हस्तक में इन प्रयासों का वर्णन किया गया है और उसे "सकारात्मक पौरूष" (Positive Masculinity) का नाम दिया गया है।

इस पहल की महत्ता

अभी से यह कहना कठिन होगा कि स्वीडन के इस नारीवादी दृष्टिकोण के चलते कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकेगा या नहीं। लैंगिक समानता अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण विषय है, परंतु सरकार के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय विचारणीय होते हैं जैसे शांति, सुरक्षा और सतत विकास। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

O–SMART योजना

चर्चा का कारण

1.1 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक अम्ब्रेला योजना का अनुमोदन किया है जो 2017-18 से 2019-20 के कालखंड में 1623 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जायेगी। इस योजना का नाम है- O-SMART योजना।

क्या है?

2.1 इस योजना के अंदर 16 उप-परियोजनाएँ हैं जिनका सम्बन्ध सामुद्रिक विकास गतिविधियों से है, जैसे- सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, संसाधन, प्रेक्षण और विज्ञान।

2.2 O-SMART में चलाई जाने वाली योजनाओं से मिलने वाले आर्थिक लाभ इन प्रक्षेत्रों को प्राप्त होंगे- मत्स्यपालन, तटीय उद्योग, समुद्र तटीय राज्य, रक्षा जहाजरानी, बंदरगाह आदि।

2.3 इस योजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया है।

मुख्य तथ्य

3.1 वर्तमान में पाँच लाख मछुआरों को मोबाइल के माध्यम से प्रतिदिन सूचनाएँ दी जा रही हैं, जिनमें उन्हें समुद्र के स्थानीय मौसम और मछलियों की मात्रा के सम्बन्ध में बताया जाता है। इससे मछुआरों को मछलियों को ढूँढने में कम समय लगता है और ईंधन की बचत होती है।

3.2 ओ-स्मार्ट योजना सतत विकास लक्ष्य 14 से (SDG 14) से संबंधित कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

3.3 O-SMART योजना नीली अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक पृष्ठभूमि प्रदान करेगी।

3.4 O-SMART योजना के लिए स्थापित नवीनतम पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की सहायता से सुनामी, चक्रवात आदि सामुद्रिक आपदाओं से कुशलतापूर्वक निपटा जा सकेगा।

3.5 इस योजना के लिए विकसित तकनीकों की सहायता से समुद्र के विशाल जैव एवं अजैव संसाधन का उपयोग संभव हो सकेगा।

नीली अर्थव्यवस्था क्या है?

4.1 धरातल पर पाए जाने वाले संसाधन, भविष्य की माँगों को देखते हुए अपर्याप्त है, इसलिए भारत ने नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम उठाये हैं जिससे कि समुद्र की विशाल संसाधनों का टिकाऊ रूप से उपयोग किया जा सके।

4.2 इस कार्य के लिये सामुद्रिक विज्ञान, तकनीकी विकास और सेवाओं के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ अपेक्षित होंगी।

4.3 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 (Sustainable Development Goal-14) में सामुद्रिक संसाधनों के सतत उपयोग की बात कही गयी है।

4.4 इसको ध्यान में रखते हुए तटीय अनुसंधान और सामुद्रिक जैव विविधता से संबंधित गतिविधियाँ आवश्यक हो जाती हैं।

पृष्ठभूमि

5.1 नवम्बर 1982 में बनाई गई महासागरीय नीति के विवरण के अनुसार मंत्रालय द्वारा (1) महासागर सूचना सेवाओं का समूह प्रदान करने (2) समुद्री संसाधनों को निरंतर उपयोग में लाने के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करने (3) अग्रिम श्रेणी के अनुसंधान को बढ़ावा देने और (4) महासागरीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिये अनेक बहुविषयक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा।

हिग्स बोसॉन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि हिग्स-बोसॉन कणों में क्षय हो चुका है और ये बोटोम क्वार्क नामक आधारभूत कणों में बदल चुके हैं।

1.2 हिग्स बोसॉन के कणों की खोज 6 वर्ष पहले शुरू हुई थी।

क्या है?

2.1 सन् 1960 में वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार इस ब्राह्माण्ड में हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसको हिग्स फील्ड कहा जाता है।

2.2 इस फील्ड में छोटे-छोटे कण मौजूद होते हैं जिनको हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल कहा जाता है।

2.3 यह कण बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है।

कैसे खोजा गया

3.1 हिग्स बोसॉन को खोजने के लिये सन् 2012 में वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैण्ड में जमीन के नीचे एक महापरीक्षण किया, जिसको लार्ज हैड्रोन कोलाइजर के नाम से जाना गया।

3.2 इस परीक्षण को जमीन के नीचे एक 27 किलोमीटर लम्बी छल्ले नुमा सुरंग में किया गया था।

3.3 जिसमें सुरंग के अंदर दो विपरीत दिशाओं से आ रही 7 ev (इलेक्ट्रॉन वोल्ट) की प्रोटॉन किरण-पुंजों (बीम) ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के समय बिग बैंग के रूप में हुई थी।

3.4 इस तरह हिग्स बोसॉन की खोज की गई थी।

लाभ

4.1 वैज्ञानिकों का मानना है कि हिग्स बोसॉन (गॉड पार्टिकल) से अंतरिक्ष तकनीकी को पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा।

4.2 इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा बल्कि बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी।

4.3 वैज्ञानिकों का मानना है कि हिग्स बोसॉन के अस्तित्व में आने से ही पदार्थ एवं दूसरे कणों की रचना हुई तथा आकाशगंगाओं और नक्षत्रों ने आकार लिया होगा। इसी वजह से इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है।

4.4 हिग्स बोसॉन की खोज के तहत सभी भौतिक नियम समझ लिये गये हैं। हालांकि ब्लैक पदार्थ, ब्लैक ऊर्जा, ब्रह्माण्ड की जन्म से संबंधित चुनौतियाँ अभी बाकी हैं।

नुकसान

5.1 वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने आगाह किया था कि वैज्ञानिकों ने जिस मायावी कण गॉड पार्टिकल की खोज की है, उसमें समूचे ब्रह्माण्ड को तबाह करने की क्षमता है।

5.2 हाकिंस ने बताया कि हिग्स क्षमता की यह चिंताजनक विशिष्टता है कि यह 100 अरब गिगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अत्यंत स्थिर हो सकती है।

5.3 इससे वास्तविक निर्वात का एक बुलबुला प्रकाश की गति से फैलेगा जिससे ब्रह्माण्ड प्रलयकारी निर्वात क्षय से गुजरेगा।

5.4 वैज्ञानिक अभी तक इस बात से अनजान है कि हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान क्या है।

एओलस उपग्रह

चर्चा का कारण

1.1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) ने हाल ही में एओलस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है।

1.2 यह उपग्रह फ्रेंच गुआना के कौरू स्थित यूरोप के अंतरिक्ष अड्डे से एक वेगा रॉकेट की सहायता से ध्रुवीय कक्ष में भेजा गया।

1.3 यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर बहती वायु धारा को मापेगी जो मौसम पूर्वानुमान को पहले से अधिक सटीक बनाने में सहायक होगा।

1.4 यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वायु का अध्ययन करेगा।

क्या है?

2.1 एओलस ऐसा पहला उपग्रह है जो पृथ्वी की वायु धाराओं का वैश्विक पैमाने पर रूपरेखा तैयार करेगा।

2.2 एओलस उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे जाने वाले पृथ्वी खोजी अभियान का पाँचवां उपग्रह है।

2.3 इसका नाम यूनानी दंत कथाओं में वर्णित एओलस नामक देवों के द्वारा प्रतिनियुक्त "वायु के नियंता/Keeper of the winds" पात्र से लिया गया है।

2.4 एओलस उपग्रह में मात्र एक ही बड़ा उपकरण लगा हुआ है। यह उपकरण डॉप्लर वाइन्ड है जिसे अलादीन नाम दिया गया है।

2.5 वायु धाराओं को मापने के लिए यह उपग्रह वायुमंडल की सबसे निचली 30 किमी. मोटी परत में रहकर अपना काम करेगा।

2.6 यह यूरोपीय संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त परियोजना कॉपरनिकस का हिस्सा है।

वायुधाराओं की महत्ता

3.1 हमारा जीवन मौसम से प्रभावित होता है। इसी पर खेती, मछली मारना, निर्माण कार्य, परिवहन आदि निर्भर रहते हैं। अतः मौसम का सटीक पूर्वानुमान आवश्यक होता है।

3.2 मौसम का पूर्वानुमान लगा कर हम आपदाओं से होने वाले जन-धन की क्षति को रोक सकते हैं।

3.3 वायु धाराओं को मापकर एओलस उपग्रह जो सूचनाएँ भेजेगा उससे हम मौसम का पहले से सटीक पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होंगे।

मुख्य तथ्य

4.1 इसे पृथ्वी के ऊपर 320 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थापित किया जाएगा।

4.2 एओलस उपग्रह से रिकॉर्ड किया जाने वाला डाटा नॉर्वे के स्वालबार्ड, नॉर्वे में ग्राउंड स्टेशन पर डाउनलोड किया जाएगा।

नाफ्टा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको ने नए उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (North American free Trade Agreement-NAFTA) पर सहमति व्यक्त की है।

1.2 नाफ्टा का तीसरा सदस्य कनाडा है। इस समझौते से उस पर यह दबाव बन गया है कि वह भी नए समझौते के लिए तैयार हो जाए।

मुख्य तथ्य

2.1 समझौते के अनुसार नाफ्टा क्षेत्र के अंतर्गत 75% ऑटो कंटेंट की आवश्यकता होगी। पहले यह कंटेंट 62.5% था।

2.2 न्यूनतम 16 डॉलर प्रति घंटा कमाने वाले श्रमिकों का ऑटो कंटेंट 40% से 45% होगा। इससे मेक्सिको के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी और इसका प्रभाव होगा कि मेक्सिको में होने वाले उत्पादन का एक हिस्सा अमेरिका जा सकता है।

2.3 नाफ्टा के मूल समझौते में इसके स्वत: समाप्त हो जाने का एक प्रावधान था जिसे "सनसेट क्लाज" कहा जाता था।

2.4 अब अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया है कि यह समझौता अधिकतम 16 वर्ष चल सकती है। यद्यपि हर छठे वर्ष इसकी समीक्षा की जायेगी।

2.5 समझौते में मेक्सिको ने डंपिंग विरोधी कुछ वादों से सम्बन्धित विवाद निष्पादन पैनल को भंग करने पर सहमति दी है।

नाफ्टा क्या है?

3.1 नाफ्टा का पूर्ण रूप है- नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।

3.2 यह समझौता कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका ने किया था।

3.3 इस समझौते से इन देशों के बीच व्यापारिक अवरोध समाप्त अथवा बहुत कम हो गया है।

3.4 इस समझौते के लिए बातचीत का क्रम जॉर्ज बुश के राज्यकाल में 1990 में आरम्भ किया गया था और उसे क्लिंटन के समय 1993 में अंतिम रूप दे दिया गया था। यह 1 जनवरी, 1994 से प्रभाव में आया।

नाफ्टा से संबंधित विवाद

4.1 नाफ्टा के तीन देशों में मेक्सिको एक विकासशील देश था जबकि कनाडा और अमेरिका विकसित और समृद्ध देश थे। इसलिए आरम्भ से कुछ लोगों का विचार रहा कि मुक्त व्यापार क्षेत्र से अमेरिका को अधिक लाभ हुआ क्योंकि अब वह अपना व्यवसाय मेक्सिको में फैला सकता था।

4.2 नाफ्टा का विरोध व्यापार संरक्षण के पक्षधरों की ओर से भी होता रहा है। इनका कहना है कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू व्यवसाय को बचाने के लिए आयात शुल्क होने चाहिए।

4.3 आलोचकों ने नाफ्टा के तीन मुख्य नुकसानों को बताया है। पहले कई यू.एस. विनिर्माण नौकरियों को कम लागत वाले मेक्सिको में भेज दिया गया। दूसरा, उन उद्योगों में रोजगार रखने वाले श्रमिकों को कम वेतन स्वीकार करना पड़ा। तीसरा, मेक्सिको के श्रमिकों को इसके मिक्लैडाडो कार्यक्रमों में शोषण का सामना करना पड़ा।

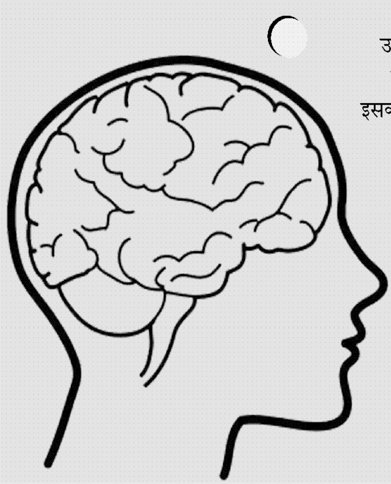

जी-20 : डिजिटल अर्थव्यवस्था की मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा का कारण

1.1 जी-20 2018 की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मंत्रिस्तरीय बैठक अर्जेंटीना के साल्टा नगर में आयोजित किया गया।

1.2 इस बैठक की अध्यक्षता अर्जेंटीना ने किया।

1.3 इसका विषय है- न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए सर्वसम्मति तैयार करना।

1.4 बैठक के एजेंडा में ये प्रमुख विषय रखे गये हैं-
- कार्य का भविष्य
- विकास के लिए आधारभूत संरचना
- सतत भोजन का भविष्य

डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यदल

2.1 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यदल की स्थापना जी-20 की 2017 की बैठक में हुई थी जो जर्मनी में आयोजित की गई थी।

2.2 ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना के विषय में निर्णय जी-20 ने चीन के हंगझाऊ में संपन्न बैठक में लिया था।

2.3 जी-20 की 2015 की बैठक तुर्की के अंटाल्या नगर में हुई थी जिसमें आधुनिक युग को डिजिटल परिवर्तन के युग के रूप में मान्यता दी गई थी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है?

3.1 डिजिटल अर्थव्यवस्था का अभिप्राय इन गतिविधियों से है-
- उत्पादन में ज्ञान एवं सूचना को कारक के रूप में प्रयोग करना।
- सूचना तंत्रों को कार्रवाई के मंच के रूप में प्रयोग करना।
- सूचना एवं संचार तकनीक क्षेत्र की सहायता से आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना।

जी-20 के बारे में

4.1 1999 में सात देशों के एक समूह जी-7 के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक बैठक हुई थी।

4.2 उस बैठक में अनुभव किया गया था कि विश्व की वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बड़ा मंच होना चाहिए, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व हो, इस प्रकार जी-20 का निर्माण हुआ।

4.3 जी-20 यूरोपीय संघ तथा 19 अन्य देशों का एक संगठन है। ये 19 देश हैं- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

जी-20 का विश्व पर प्रभाव

5.1 विश्व के आर्थिक उत्पादन का 85% इन्हीं देशों में होता है।

5.2 इन देशों में विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग रहती है।

5.3 यूरोपीय संघ तथा 19 अन्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सा है।

5.4 जी-20 की बैठक में नीति निर्माण के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया जाता है। साथ ही अध्यक्ष के विवेकानुसार जी-20 के बाहर के कुछ देश आमंत्रित किये जाते हैं।

5.5 इसके अतिरिक्त सिविल सोसाइटी के अलग-अलग क्षेत्रों के समूहों को नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है।

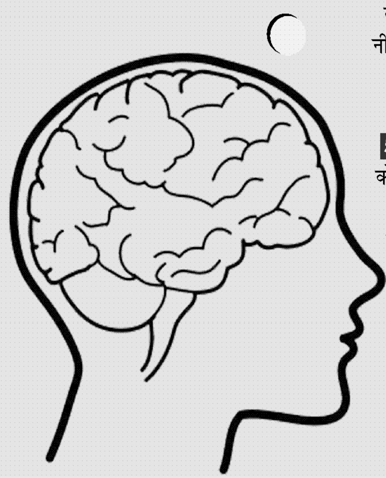

बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी (BNHS)

चर्चा का कारण

1.1 भारत के प्रमुख पक्षी अनुसंधान संस्थानों में से एक बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी (Bombay Natural History Society–BNHS) ने चिल्का झील के निकट स्थित आर्द्रभूमि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में अपने पहले क्षेत्रीय केंद्र का संचालन आरम्भ किया है।

बीएनएचएस के बारे में

2.1 इसकी स्थापना 15 सितम्बर, 1883 में हुई थी।

2.2 यह भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है जो संरक्षण तथा जैव विविधता पर अनुसंधान करता है।

2.3 यह संस्था भारत में बर्डलाइफ इंटरनेशनल का भागीदार है।

2.4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन घोषित किया है।

2.5 वृहदाकार हॉर्नबिल (great hornbill) बीएनएचएस का लोगो (logo) है।

चिल्का झील के बारे में

3.1 चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा और तटीय लैगून तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।

3.2 इससे बड़ा लैगून न्यू कैलेडोनिया, स्कॉटलैण्ड में है।

3.3 भारतीय महाद्वीप में सबसे अधिक जलमुरगाबी (जलपक्षी) जाड़ों में चिल्का झील में ही आते हैं।

3.4 अपने समृद्ध जैव-विविधता और पारिस्थितिकीय महत्ता के कारण चिल्का झील को भारत की पहली "रामसर साइट" के रूप में घोषित किया गया था।

3.5 इस लैगून के बीच में स्थित नलबन द्वीप को वन्य जीवन (सुरक्षा अधिनियम) के अधीन एक पक्षी अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है।

3.6 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय आर्द्रभूमि, मैंग्रोव एवं प्रवाल भित्ति समिति ने इस लैगून को संरक्षण तथा प्रबंधन की दृष्टि से सर्वप्रमुख स्थल के रूप में चयन किया है।

3.7 चिल्का लैगून भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में पड़ता है।

3.8 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के माध्यम से यहाँ से चेन्नई और कोलकाता जाना सुगम है।

मुख्य तथ्य

4.1 ओडिशा में खुलने वाली इस शाखा की सहायता से बीएनएचएस जाड़े में चिल्का झील में जमावड़ा लगाने वाले विदेशी पक्षियों के वायुमार्ग की पहचान करेगा।

4.2 यहाँ से बीएनएचएस को इनके नमूनों का संग्रह, पक्षी गणना से सम्बन्धित प्रशिक्षण, पक्षी परिव्रजन, एटलस पुस्तकों का प्रकाशन, पक्षियों में होने वाले विभिन्न रोगों का परीक्षण तथा नलबन पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों की गणना के अतिरिक्त उनकी दिशा की समीक्षा में सहायता मिलेगी।

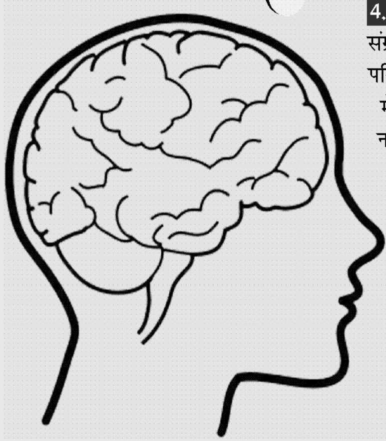

होराइजन–2020

चर्चा का कारण

1.1 विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु इन्फ्लुएंजा टीके के निर्माण के लिए यूरोपीय संघ और भारत ने हाल ही में अनुसंधान एवं नवाचार के निमित्त सहयोग करने का निर्णय लिया।

1.2 इसके लिए यूरोपीय संघ होराइजन 2020 नामक अपने अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम के तहत धन मुहैया कराएगा।

1.3 परियोजना के लिए खर्च का आधा हिस्सा भारत सरकार वहन करेगी।

क्या है?

2.1 होराइजन 2020 यूरोपीय संघ अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है।

2.2 इसमें 2014 से 2020 तक के 7 वर्षों में 80 बिलियन पौंड खर्च होंगे, इसके अतिरिक्त इसके लिए निजी निवेश भी प्राप्त किये जायेंगे।

2.3 परियोजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोप में विश्व-स्तर की वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हो, नवाचार में आने वाली अड़चनें दूर हों तथा सार्वजनिक एवं निजी प्रक्षेत्र साथ-साथ नवाचार के लिए सुगमता से काम कर सकें।

2.4 होराइजन 2020 सबके लिये खुला है। इसकी संरचना अत्यंत सरल है जिसमें लाल फीताशाही कम है और प्रतिभागियों को वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।

2.5 इस कार्यक्रम की अंतिम परिणामों से धारित विकास 3 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होगी और इससे स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्य तथ्य

3.1 यूरोपीय संघ और भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस संयुक्त परियोजना के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ यूरो खर्च करेंगे।

3.2 कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रतिरोध के प्रभाव, सुरक्षा एवं अवधि को बढ़ाना क्योंकि इन्फ्लुएंजा के नए-नए रूप सामने आ रहे हैं।

3.3 होराइजन 2020 के द्वारा गुणवत्ता में कोई समझौता किये बिना इन्फ्लुएंजा के सस्ते टीके बनाए जायेंगे।

3.4 इससे भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना में शामिल होने हेतु अर्हता

4.1 परियोजना के लिए यूरोप से (यूरोपीय संघ के देश/यूरोपीय संघ से जुड़े देश) तीन आवेदक और भारत से तीन आवेदक होंगे।

4.2 परियोजना के लिए दूसरे देश भी आवेदन कर सकते हैं।

4.3 इस परियोजना के लिए भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग और यूरोपीय संघ 30 मिलियन यूरो (240 करोड़ रु.) की फंडिंग के लिये प्रतिबद्धता जाहिर की हैं।

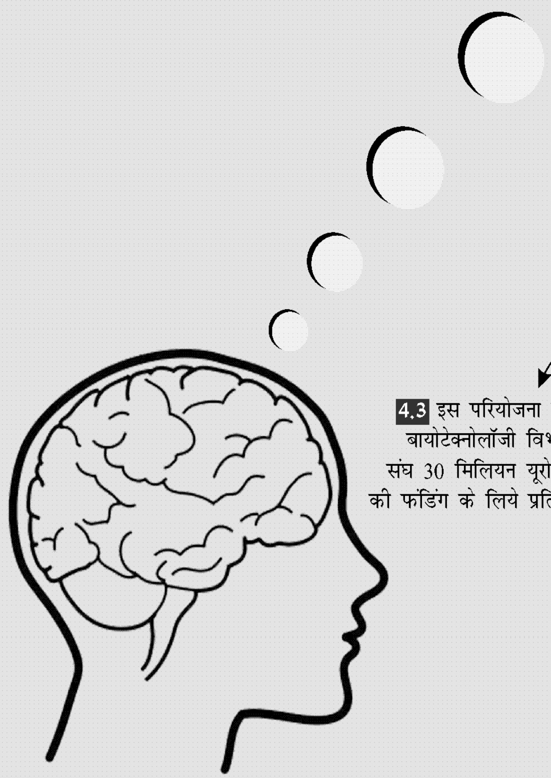

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. 'O-SMART' योजना

प्र. 'O-SMART' योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
2. इसका संबंध सामुद्रिक विकास गतिविधियों से है।
3. यह योजना एसडीजी 14 से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ■

2. हिग्स बोसॉन

प्र. 'हिग्स बोसॉन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्टीफन हॉकिंग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
2. इसका कण छोटा होता है, जिसे देख पाना संभव है।
3. इसकी खोज 2012 में हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः सन् 1960 में वैज्ञानिक पिटर हिग्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार इस ब्रह्माण्ड में सभी खाली जगह में एक फिल्ड बना हुआ है, जिसको हिग्स फिल्ड कहा जाता है। यह कण बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे देख पाना संभव नहीं है। ■

3. एओलस उपग्रह

प्र. एओलस (Aeolus) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया?

(a) नासा ने

(b) इसरो ने

(c) यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने

(d) डीआरडीओ ने

उत्तरः (c)

व्याख्याः यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एओलस (Aeolus) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह फ्रेंच गुआना के कौरू में स्थित यूरोप के अंतरिक्ष अड्डे से एक वेगा रॉकेट की सहायता से ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया। ■

4. नाफ्टा

प्र. उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA) क्या है?

1. यह अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच हुआ।
2. यह समझौता अधिकतम 20 वर्ष के लिए हो सकता है।
3. इस समझौते से व्यापार अवरोध लगभग समाप्त हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः यह समझौता अधिकतम 16 वर्ष चल सकती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ■

5. जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था

प्र. 'जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसकी मंत्रिस्तरीय बैठक ब्राजील में आयोजित किया जा रहा है।
2. इस बैठक की थीम है- 'न्यायपूर्ण और सतत विकास के लिए सर्वसम्मति तैयार करना'।
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यदल की स्थापना 2017 में हुई थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1

(c) केवल 2 (d) केवल 1 और 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: जी-20, 2018 की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मंत्रिस्तरीय बैठक अर्जेंटीना के साल्टा नगर में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता अर्जेंटीना करेगा। ■

6. बीएनएचएस

प्र. बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी (BNHS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह जैव विविधता के संरक्षण तथा अनुसंधान पर कार्य करता है।
2. यह संस्था भारत में 'बर्डलाइफ इंटरनेशनल' का भागीदार है।
3. वृहदाकार हॉर्नबिल बीएनएचएस का लोगो है।
4. बीएनएचएस ने चिल्का झील के निकट अपना पहला क्षेत्रीय केंद्र का संचालन आरंभ किया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत के प्रमुख पक्षी अनुसंधान संस्थानों में से एक बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी (बीएनएचएस) ने चिल्का झील के निकट स्थित 'आर्द्रभूमि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र' के परिसर में अपने पहले क्षेत्रीय केंद्र का संचालन आरंभ किया है। ■

7. होराइजन-2020

प्र. होराइजन-2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूरोपीय संघ एवं भारत सरकार ने अनुसंधान एवं नवाचार के निमित्त सहयोग करने का निर्णय लिया है।
2. इस संयुक्त योजना के लिए यूरोपीय संघ एवं भारत सरकार 3-3 करोड़ यूरो खर्च करेंगे।
3. इसका लक्ष्य है- यूरोप में विश्व स्तर की वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करना।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: विश्व के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु इन्फ्लुएंजा टीके के निर्माण के लिए यूरोपीय संघ और भारत ने हाल ही में अनुसंधान एवं नवाचार के निमित्त सहयोग करने का निर्णय लिया। यूरोपीय संघ और भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस संयुक्त योजना के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ यूरो खर्च करेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य है यूरोप में विश्व स्तर की वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हो, नवाचार में आने वाली अड़चनें दूर हों तथा सार्वजनिक एवं निजी प्रक्षेत्र साथ-साथ नवाचार के लिए सुगमता से काम कर सकें। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. 'कृष्णा कुटीर' हाल ही में सुर्खियों में रहा है, यह किस केन्द्रीय मंत्रालय से सम्बंधित है?

   - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

2. भारत के 'स्वच्छ गंगा मिशन' के लिए किस यूरोपीय देश ने 120 मिलियन यूरो के सॉफ्ट लोन को मंजूर किया?

   - जर्मनी

3. किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 'मिल बांचे' नामक कार्यक्रम शुरू किया है?

   - मध्य प्रदेश

4. भारत ने कर्नाटक में सड़क सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं?

   - एशियाई विकास बैंक

5. उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नयी रैंकिंग प्रणाली की घोषणा की है?

   - एआरआईआईए (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements)

6. हाल ही में किस देश को बिम्सटेक की अध्यक्षता प्रदान की गयी?

   - श्रीलंका

7. 'मूव' भारत के प्रथम वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया जायेगा?

   - विज्ञान भवन (नई दिल्ली)

सात महत्वपूर्ण पुरस्कार

1. मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार

- **संबंधित क्षेत्र**
  - लेखन के क्षेत्र में
- **संस्था**
  - मैन ग्रुप, लंदन
- **पुरस्कार राशि**
  - 50000 पौंड (67,000 डॉलर) पुरस्कार, लेखक और उसके अनुवादक जेनिफर क्राफ्ट के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
- **2018 विजेता**
  - ओल्गा टोकर्कजुक (पोलैण्ड की साहित्यकार)।
  - उपन्यास- 'फ्लाइट्स' के लिए
- **2017 विजेता**
  - डेविड ग्रास मैन (इजरायली साहित्यकार)
  - उपन्यास- 'ए हार्स वाक् इनटू ए बार' के लिए
- **मुख्य तथ्य**
  - यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों के लिये दिए जाने वाले मैन बुकर पुरस्कार के समकक्ष है।
  - वर्ष 2016 से मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार को एक पुस्तक लेखन के लिये सलाना सम्मानित किया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो और उसे यूके में प्रकाशित किया गया हो।
  - वर्ष 2018 में मैन बुकर पुरस्कारों ने अपने 50 वर्ष पूरे किये हैं।

2. एबेल पुरस्कार

- **संबंधित क्षेत्र**
  - गणित के क्षेत्र में
- **संस्था/देश**
  - नार्वे सरकार द्वारा
- **2018 विजेता**
  - रॉबर्ट पी. लॉगलैण्डस (कनाडा)
  - रिप्रेसेटंशन थ्योरी से नंबर थ्योरी को जोड़ने के दूरदर्शी प्रोजेक्ट के लिए।
- **2017 विजेता**
  - यवेस मेयर (नार्वे)
- **पुरस्कार राशि**
  - 6 मिलियन नार्वेजियन क्रोनर (7 लाख 76 हजार अमेरिकी डॉलर)
- **मुख्य तथ्य**
  - एबेल पुरस्कार की शुरूआत 23 अगस्त, 2001 में नॉर्वे के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ 'नील्स हेनरिक एबेल' के सम्मान में हुई थी।
  - इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति 'जीन पियरे सेरे' थे जिन्हें गणित के कई हिस्सों जैसे टोपोलॉजी, बीजीय ज्यामिति और संख्या सिद्धांत को आधुनिक रूप देने के लिए साल 2003 में दिया गया था।

3. ज्ञानपीठ पुरस्कार

- **संबंधित क्षेत्र**
  - साहित्य के क्षेत्र में
- **संबंधित संस्था**
  - भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा
- **2017 विजेता**
  - कृष्णा सोबती (हिन्दी)
  - उपन्यास- 'जिंदगीनामा'
- **2016 विजेता**
  - शंखा घोष (बांग्ला साहित्य)
- **पुरस्कार**
  - 11 लाख रुपये

- **मुख्य तथ्य**
  - कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाओं में जिंदगीनामा, ऐ लड़की, मित्रो मरजानी और जैनी मेहरबान सिंह शामिल है।
  - जब वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय पुरस्कार राशि मात्र एक लाख रुपये थी।

4. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

- **संबंधित क्षेत्र**
  - सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए
- **संबंधित संस्था**
  - दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन द्वारा
- **2017 विजेता**
  - विनोद खन्ना
- **2016 विजेता**
  - काशीनाथुनी विश्वनाथ
- **पुरस्कार राशि**
  - एक स्वर्ण कमल तथा 10,00,000 रुपये नगद।
- **मुख्य तथ्य**
  - भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान देने वाले फिल्मी हस्तियों को सम्मानित करने के लिये भारत सरकार द्वारा 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुभारम्भ किया गया था।
  - दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है।

5. प्रित्जकर पुरस्कार

- **संबंधित क्षेत्र**
  - आर्किटेक्चर
- **संबंधित संस्था**
  - हयात फाउंडेशन द्वारा
- **2018 विजेता**
  - बालकृष्ण दोषी
- **2017 विजेता**
  - रोमन विलाल्टा, रॉफेल अरान्डा एवं कारमे पिगेम
- **पुरस्कार राशि**
  - एक लाख डॉलर
- **मुख्य तथ्य**
  - प्रित्जकर पुरस्कार को वास्तुकला की दुनिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
  - इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी।
  - प्रथम पुरस्कार ग्लास हाउस के वास्तुकार फिलिप जान्सन को 1979 में दिया गया था।

6. कालिदास सम्मान

- **संबंधित क्षेत्र**
  - शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला।
- **संबंधित संस्था**
  - मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
- **2018 विजेता**
  - अंजलि इला मेनन
- **2017 विजेता**
  - रामगोपाल बजाज
- **मुख्य तथ्य**
  - इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालीदास के नाम पर रखा गया है।
  - इसे पहली बार 1990 में प्रस्तुत किया गया था।

7. विश्व खाद्य पुरस्कार

- **संबंधित क्षेत्र**
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा विशेषकर मातृ और शिशु पोषण के क्षेत्र में
- **संबंधित संस्था**
  - जेनरल फूड कारपोरेशन
- **2018 विजेता**
  - लावरेन्स हैडॉड तथा डेविड नैब्रो
- **2017 विजेता**
  - अकिनवुमि अयोडेजी अडेसिना
- **पुरस्कार राशि**
  - 250,000 डॉलर
- **मुख्य तथ्य**
  - इन विजेताओं के काम ने माताओं एवं बच्चों के पोषण के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
  - यह एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 7 भारतीयों ने भी जीता है जो निम्नलिखित है- डा. संजय राजाराम (2014), डा. विजय गुप्ता (2005), डा. सुरेंद्र के. बंसल (2000), डा. बी.आर. बारवाले (1998), डा. गुरूदेव कुश (1996), डा. वारगेस कुरैन (1989) तथा प्रो. एम. एस. स्वामिनाथन (1987)।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। इस कथन पर अपना विचार व्यक्त करें।

2. हाल ही में ग्रीस और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था जिस तरह अस्थिर हुई है उसे लेकर विश्व बाजार में अनिश्चितता देखी जा रही है। उन कारणों की चर्चा करें जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. पश्चिमी दार्शनिक कांट ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। भारतीय धर्मदर्शन से कांट का नैतिक सिद्धांत किस प्रकार भिन्न है? उल्लेख करें।

4. सरोगेसी से आप क्या समझते हैं? हाल ही में सरोगेसी कानून में किये गये बदलाव व्यावहारिक रूप से कितना सही है? चर्चा करें।

5. हाल ही में भारत सरकार ने एसी/एसटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में शामिल किया है। यह एक्ट एससी/एसटी के सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक है? टिप्पणी करें।

6. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।

7. वर्तमान समय में भारत-अमेरिका के बीच दोस्ती गहराती जा रही है वहीं दूसरी तरफ रूस-चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। यह दोस्ती दक्षिण एशिया की राजनीतिक संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करेगी? चर्चा करें।

ध्येय IAS
most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST :	DAILY Q & A CHECKING
VIDEOS:	ARTICLE ANALYSIS
CURRENT AFFAIRS:	ESSAY
DISCUSSION	AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		**ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल**	**अन्य पोर्टल एवं साइट्स**
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और **Ethics case study** ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park lll, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA- KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**

Dhyeya IAS Now on Whatsapp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9205336039.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400